सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

24 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — मंगलवार, तिथि 24 फरवरी, 2026 ई0
द्वितीय सत्र — 05 फाल्गुन, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।
अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, हम व्यवस्था पर खड़े हैं ।

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय....

अध्यक्ष : आप शून्यकाल में बतायें, आपको जीरो आवर में मौका देंगे । माननीय सदस्य, मेरा आपसे आग्रह है कि आपको जीरो आवर में समय दे देंगे, उस समय बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है । अब बैठ जाइये, श्री अजय कुमार ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सारे माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी सीट पर खड़े हो गए)

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, हम कहना चाहते हैं, हमें सिर्फ एक मिनट का समय दे दिया जाए ।

अध्यक्ष : ठीक है, बोल दीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, कल बिहार के सम्पूर्ण चौकीदार, दफादार अपनी मांग के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे थे.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस विषय को शून्यकाल में प्लीज उठाइयेगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : इतने बुरे तरीके से महोदय । महोदय, यह चौकीदार, दफादार का मामला है...

अध्यक्ष : आपको हम मौका देंगे ।

श्री कुमार सर्वजीत : इतनी बर्बरता से पुलिस ने मारा है, वह भी तो डिपार्टमेंट पुलिस का ही था महोदय तो क्या लोकतंत्र में अपनी मांग को मांगने का अधिकार नहीं है महोदय । अगर माननीय न्यायालय ने महोदय इस कानून में संशोधन करने को कहा तो बिहार सरकार आखिर क्यों नहीं करना चाहती है चौकीदार, दफादार के लिए काम ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने आपकी बातों को सुन लिया है, इसलिए अब आप बैठ जाइये । श्री अजय कुमार ।

(व्यवधान)

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह सरकार चलेगी नहीं तो....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : भाई बीरेन्द्र जी, बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार चलेगी नहीं तो चौकीदार, दफादार की मांगों की पूर्ति कौन करेगा, इसलिए महोदय कि.....

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : यह सरकार नहीं चलेगी, सब दिन रहेगी । अब कितनी मीटिंग हैं आपकी, कितनी मीटिंग हैं और जो हमलोगों का है, कितनी मीटिंग हैं और आपलोगों की अब कितनी मीटिंग हैं तो इसलिए यह सब चीज मत कीजिए । अब संख्या बहुत कम है, थोड़ा सी आपकी है और इतना ज्यादा व्यवधान कर रहे हैं।

(व्यवधान जारी)

अब आप बेमतलब का मत बोलिए, बैठिए चुपचाप ।

अध्यक्ष : भाई बीरेंद्र जी, नेता खड़े हैं तो बैठ जाइए, सम्मान कीजिए नेता का ।

श्री भाई बीरेंद्र : अध्यक्ष महोदय ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप देखिए, कोई काम कीजिए, बिना मतलब । हम तो बैठे रहते हैं, आपका सुनते रहते हैं तो आज अभी बोलें तो हम बोल दिये कि यह कोई तरीका है । भाई अब आपलोग तो इतना कम हैं, पहले थे, अब कितना कम हो गये हैं और इस बार कितना हो गया हमलोगों का । हमलोग 202 हैं.....

(व्यवधान जारी)

श्री भाई बीरेंद्र : लोकतंत्र में कम संख्या वाले.....

(व्यवधान जारी)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : और आप कितने हैं और आपके साथ कितने आदमी हैं, बाकी दूसरी तरफ भी हैं ।

अध्यक्ष : भाई बीरेन्द्र जी, बैठ जाइये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अब छोड़िए, बेमतलब की बात मत कीजिए ।

अध्यक्ष : बीरेंद्र जी, बैठ जाइये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : भाई सुनिए ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बीरेंद्र जी, बैठ जाइये । माननीय सदन के नेता खड़े हैं, सम्मान कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : सुनिए । आपलोगों को दो बार अपने साथ रखें और बाद में गड़बड़ करते थे तो तय हो गया कि अब कभी नहीं होगा । सुन लीजिए ।

अध्यक्ष : भाई बीरेंद्र ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है ?

अध्यक्ष : भाई बीरेंद्र जी, बैठिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : सुनिए, आपकी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है, जो भी काम हुआ है उसी समय हुआ है और आप जानते हैं बिहार कितना

आगे बढ़ रहा है । आप जब थे तो किसी को जाने का था, शाम के बाद घर से कोई निकलता था, घर के ही अंदर रहता था ।

अध्यक्ष : कुमार सर्वजीत जी, बैठ जाइये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आपलोग कभी कोई रहे थे, हम ही करवाये थे उनको ।

अध्यक्ष : कुमार जी, बैठ जाइये । बैठिए, प्लीज ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : दो साल, तीन साल के बाद हम छोड़कर के चौथा साल चले गये.....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : शांति–शांति ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : बिना मतलब का इतना मत कीजिए ।

(व्यवधान जारी)

जो भी बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है । अब कोई चीज है ।

अध्यक्ष : ये बिहार के विकास की चर्चा है, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं । आप सभी लोग बैठ जाइये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप बिना मतलब का बोलते हैं, सब जगह बोलिएगा, आपकी संख्या क्या है, इतनी कम संख्या है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : फालतू बात है । आपलोग आज तक कोई काम किये ही नहीं हैं, सब बेकार है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : वेल में नहीं आइये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : ये लोग आज तक कोई काम नहीं किये हैं । ये सब किसलिए कर रहे हैं, जो ये सब कर रहे हैं उनको हटाना चाहिए ।

अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए । वेल से बाहर जाइये, सीट पर जाइये । सीट पर जाइये सब लोग ।

(व्यवधान जारी)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : जो गड़बड़ करे, यह ठीक नहीं है ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल होगा । श्री अजय कुमार ।

श्री नीतीश मिश्रा । शांति–शांति । संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाह रहे हैं । शांति बनाए रखिए, बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : हम आप ही की बात को बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष : मार्शल तख्ती हटवा दें । संदीप जी बैठ जाइये, हो गया, सरकार ने संज्ञान ले लिया है ।

(व्यवधान जारी)

आप सभी से आग्रह हैं कि अपनी–अपनी सीट पर वापस आ जायें । श्री नीतीश मिश्रा । श्री नीतीश मिश्रा जी रुक जाइये । अजय जी आप पूछिए। बैठ जाइये, अजय बाबू का प्रश्न है ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है, लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार का जो जवाब है.....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : शांति–शांति, हो गया । सरकार के संज्ञान में बातें आ गयीं ।

श्री अजय कुमार : सरकार का जवाब है कि डिजास्टर पर जो है, सिलेबस नहीं है यह ठीक है लेकिन बच्चों को नीचे शिक्षा दी जाती है । मेरा कहना है कि सरकार को.....

अध्यक्ष : भाई बीरेंद्र जी ।

श्री अजय कुमार : डिजास्टर जो है, बिहार के बारे में मैं साफ कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर आपदा होती है और आपदा में बिहार जो है तबाह हो जाता है.....

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइये । संदीप जी, बैठिए । अजय जी का क्वेश्चन है, जीरो आवर में, पहले बैठिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री अजय कुमार : और इसीलिए बिहार में आपदा पर पढ़ाई जरूर होना चाहिए ।

अध्यक्ष : आपलोग बैठिए, सरकार बोल रही है, सरकार खड़ी है बैठ जाइये । संसदीय कार्य मंत्री बोलना चाह रहे हैं बैठिए । संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं बोलने के लिए, प्लीज बैठ जाइये, सुन तो लीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार तो बात रखना चाहती है, सरकार को बात रखने का मौका दिया जाए ।

अध्यक्ष : सब लोग बैठिए, सुनिए बात को, लोकतंत्र में आपने अपनी बातों को रख दिया, प्लीज बैठिए, आपको मैं कह रहा हूं । आग्रह है बैठ जाइये । जवाब मिलेगा, बैठिए शांति से । सरकार जानकारी दे रही है, धमकी नहीं जानकारी दे रही है। माननीय मंत्री ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल से वापस चले गये)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने चौकीदार, दफादार के संबंध में बातें उठाई हैं, कल उनका अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन था और अगर सरकार प्रदर्शन के खिलाफ होती तो प्रदर्शन को रोक देती, इसलिए सबसे पहली बात यह आरोप लगाना कि सरकार किसी संगठन के प्रजातांत्रिक अधिकारों को रोकना या हनन करना चाहती है महोदय यह सरासर गलत है पहली बात । दूसरी बात महोदय जहां तक चौकीदार, दफादारों की बात है उनकी सेवा शर्तों के संबंध में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने पूर्व में निर्णय लिया है वह ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है जितना उनके पक्ष में सरकार ने निर्णय लिया था और अगर उनकी कोई मांग है तो सरकार उनसे बात

करेगी । जैसे प्रदर्शन करने की आजादी है तो कोई भी नियम या पब्लिक ऑर्डर जिसको कहते हैं, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था को भी छिन्न–भिन्न करने का किसी संगठन को इजाजत नहीं है, प्रदर्शन करने का तरीका है, आप प्रदर्शन कीजिए, प्रदर्शन करके आम नागरिकों को असुविधा पहुंचाइयेगा, सरकारी संपत्ति का नुकसान कीजियेगा ये तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए हमलोगों की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एन0डी0ए0 सरकार किसी भी संगठन, किसी भी संघ के प्रजातांत्रिक अधिकारों, मूल्यों को बढ़ावा देकर संरक्षित करने का काम करती है न कि उनके विरुद्ध काम करती है और ये चौकीदार संगठनों के साथ भी महोदय लागू है, क्योंकि इतिहास साक्षी है, यह सदन साक्षी है, क्योंकि चौकीदारों के संबंध में जितना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हमलोगों की सरकार ने लिया है, किसी सरकार ने पूर्व में नहीं लिया है । मैं कोई अलग से आप ही की सरकार की बात नहीं कहता हूं जो फिर आपको खराब लगेगा, हम तो कहते हैं कि किसी पूर्व की सरकार ने, आप तारीख, इतिहास उलटकर देख लीजिए कि आपको समझ में आ जायेगा । आज चौकीदार, दफादारों की सहानुभूति लेने के लिए ये घड़ियाली आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है, वे समझते हैं कि उनका असली हकदार, असली हितैषी कौन है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, सवाल के माध्यम से मेरा प्रश्न था कि बिहार जो है सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त राज्य है ।

अध्यक्ष : अजय बाबू, बैठिए । माननीय मंत्री जी खड़े हैं, बोलिए बिजेन्द्र बाबू ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा चार, पांच उनके डिलीगेशन के लोगों को बुलाकर सरकार विचार करके उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ।

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार ।

टर्न–2 / सुरज / 24.02.2026

अध्यक्ष : अब सारी बातें हो गयी । सरकार ने कहा है डेलिगेशन बुलाकर बात करेगी ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । आप सबों से आग्रह है कि क्वेश्चन ऑवर चलने दीजिये ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं बिहार एक आपदाग्रस्त...

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : एक सेकेंड अजय जी ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मामला चौकीदार और दफादारों से जुड़ा हुआ है । हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हमलोग कई बार उनके साथ मुख्यमंत्री जी से मिले हैं इस मैटर पर और जैसे पहले उनलोगों की बहाली होती थी, उसी तरह से बहाली मुख्यमंत्री जी से हमारे नेता कई बार मिल करके अपनी बात हमलोग रख चुके हैं और हमारे नेता खुद उस पर हैं कि उसको पहले जैसी व्यवस्था थी उनकी, जो अंग्रेजों के समय में था, उसी पर हुआ था और...

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार जी ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, एक मिनट जो लाठी चार्ज हुआ है, जो भी हुआ है । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अगर उसमें कहीं गलत किया गया है तो उनके विरूद्ध...

अध्यक्ष : सरकार देखेगी । माननीय मंत्री जी ने कहा है, विजय बाबू ने कहा है सरकार देखेगी । श्री अजय कुमार जी ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0– 'क' 28 श्री अजय कुमार (क्षेत्र सं0–138, विभूतिपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि आपदा प्रबंधन के विषय पर छात्र–छात्राओं को प्रारंभिक विद्यालयों से ही अवगत और जानकार किया जा रहा है । पढ़ाई के विषयों/पाठ्यचर्याओं में आपदा प्रबंधन को डाला गया है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम (योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम) चलाये जा रहे हैं । जिसके लिए छात्र–छात्राओं को 02 (दो) क्रेडिट मिलते हैं ।

श्री अजय कुमार : महोदय, बिहार आपदाग्रस्त राज्य है और आपदा सब लोग जानते हैं कि छः महीना बाढ़ में डूबा रहता है बहुत सारे जिले और उसमें बहुत भारी नुकसान होता है । वज्रपात भी होता है और इसलिये मैं लाया था कि कई राज्य में आपदा की पढ़ाई होती है और यू0जी0सी0 का भी गाईडलाइन आया है, निर्देश आया है कि वह पढ़ाई हो । लेकिन सरकार ने जो जवाब दिया है...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिये, जवाब पढ़ लिये हैं न ।

श्री अजय कुमार : महोदय, वह जवाब दिया है कि छात्र–छात्राओं को प्रारंभिक विद्यालय से ही अवगत करायी जाती है । एक चेप्टर में एक–दो पेज में कुछ बातें रहती है । कोई सिलेबस में नहीं है...

अध्यक्ष : आप सुझाव दे दीजिये ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री है कि क्या यू0जी0सी0 का गाईडलाइन है तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, मैं यू0पी0 का ही उदाहरण दे रहा हूं । उत्तर प्रदेश में सभी कॉलेज में आपदा की पढ़ाई, डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है । बगल में झारखंड में भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है । तो क्या

बिहार में डिजास्टर की पढ़ाई यू0जी0सी0 के निर्देश के बाद आप इसको सिलेबस में ला करके यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई कराना चाहते हैं ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी बात उठायी तो स्कूल का जहां तक प्रश्न है तो स्कूल के सिलेबस में हमलोगों ने उसको इंक्लूड किया है और ऐसी बात नहीं है कि वह अपने मन से, जो गाईडलान्स है, जो सिलेबस है चाहे वह रिस्क हो या रिस्क का जो डिडक्शन हो या प्रीपेयडरेंस हो, उसकी तैयारी हो बाद में और सारे जो सिलेबस पर ही स्कूल में आधारित है, उसकी पढ़ाई होती है उस चैप्टर मैं मैंने खुद भी देखा है । जहां तक कॉलेजों का प्रश्न है, यूनिवर्सिटीज का तो उनकी एक सर्टेन एकोनॉमी है तो उनको हमलोग जरूर अपनी सलाह दे देंगे कि जो यू0जी0सी0 का गाईडलाइन्स हैं उसको फॉलो करे । लेकिन एक प्रक्रिया है कि अगर सिलेबस में या उनको स्वतंत्र अधिकार है कि वह अपना जो भी एक बार सब्जेक्ट को हमलोग अप्रूव करते हैं वो सिनेट सिंडीकेट गर्वनर हाउस से होता हुआ हमलोगों के पास आता है तो उसको हमलोग सुझाव दे देंगे ताकि उसको करे । लेकिन उनको प्रक्रिया फॉलो करनी होगी, एटॉनमी है और हमलोग निश्चित रूप से सुझाव दे देंगे कि यूनिवर्सिटीज में इसको इंक्लूड किया जाए । हालांकि स्कूल्स के चैप्टर में यह इंक्लूडेड है, इसको साथ में रख गया है ।

अध्यक्ष : श्री नीतीश मिश्रा ।

श्री अजय कुमार : महोदय...

अध्यक्ष : सरकार ने स्पष्ट कहा है ।

श्री अजय कुमार : महोदय, क्लियर है । मेरा सिर्फ इतना ही है, आप कहते हैं सुझाव । मैं चाहता हूं निर्देश । सरकार सुझाव क्या देगी यूनिवर्सिटी को, सरकार को तो निर्देश देना है और यू0जी0सी0 का गाईडलाइन है, जब यू0जी0सी0 का गाईडलाइन है । दूसरी बात है कि आप यहां नेट के एग्जामिनेशन में उस सब्जेक्ट को रखा है, तो जब नेट के एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट को रखा है तो पढ़ाई होती नहीं है । तब फिर अगर कोई वैकेंसी होगी तो कहां के बच्चे को सर्विस मिलेगी, नौकरी मिलेगी ? इसलिये मैं स्पष्ट तौर पर यह मांग करता हूं, अब मैं मांग करता हूं कि आप इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन का निर्देश आपको मिला हुआ है तो उसको आप निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय को निर्देशित करें कि उस पर डिजास्टर मैंनेजमेंट की पढ़ाई की शुरूआत करे ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, हमलोगों ने कहा है कि निश्चित तौर से उसको इंक्लूड के लिये कहेंगे तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप हमारी बात न माने । अगर यू0जी0सी0 में है जैसा कि लिखा हुआ है तो निश्चित इंक्लूड करने के लिये कहेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0– 75 श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र सं0–38, झंझारपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या–8550, दिनांक–07–08–2024 द्वारा राज्य में वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति में स्थानीय औद्योगिक इकाईयों/उद्यम को प्राथमिकता हेतु बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 गठित की गई है। उक्त नीति के अन्तर्गत सामग्रियों के अधिप्राप्ति के लिये उद्योग विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है एवं सेवाओं के अधिप्राप्ति के लिये संबंधित प्रशासी विभाग नोडल विभाग है।

उद्योग विभाग द्वारा अपने पत्रांक–3938, दिनांक–24–12–2025 के द्वारा बिहार खरीदारी अधिमानता नीति, 2024 के आलोक में सामग्रियों की अधिप्राप्ति हेतु "General List" एवं "Exclusive List" की सूची की माँग सभी विभागों से की गयी है, जिसके संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मूलतः यह प्रश्न वित्त विभाग का था और भूलवश यह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को चला गया । लेकिन हम धन्यवाद देंगे माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने उत्तर भी दिया है । राज्य मंत्रीपरिषद के द्वारा जुलाई, 2024 में पर्चेज प्रिफ्रेंस पॉलिसी की स्वीकृति दी गयी थी और बाद में वित्त विभाग द्वारा उसका गजट नोटिफिकेशन भी हुआ । अध्यक्ष महोदय, मूल उद्देश्य यह था कि बिहार में जो उत्पाद बन रहे हैं, उनको बिहार की खरीद में प्राथमिकता मिले ताकि यहां पर उद्यमिता बढ़ सके । बाद में राज्य सरकार के द्वार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज भी लाया गया 2025 में । मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि हरेक विभाग को इसकी ऑनरशिप लेनी पड़ेगी कि जब तक इंडस्ट्रीज में यह मैसेज नहीं जायेगा कि यहां के जो उत्पाद बन रहे हैं, उसको यहां पर प्रक्योरमेंट में प्रिफ्रेंस मिलेगा । अगर सरकार यह लागू कर देती है, उत्तर मे दिया गया है कि अभी लिस्ट बनायी जा रही है लेकिन इसमें मेरा सिर्फ इतना ही विनम्रतापूर्वक आग्रह होगा कि इसको इफेक्टिवली लागू कर दें ताकि बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है सात निश्चय भाग–3 के माध्यम से कि बिहार में उद्योग बढ़े, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का जो सुझाव आया है, उद्योग विभाग के साथ बैठकर हम इसकी समीक्षा कर लेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0– 76, श्री राधाचरण साह (क्षेत्र सं0–192, संदेश)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुतः राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षोपरांत समय–समय पर शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को पदों का सृजन किया जाता है । विगत कुछ वर्षों में विश्विद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में 2258 शिक्षक श्रेणी के पदों का सृजन किया गया है ।

राज्य सरकार के सात निश्चय–3 (2025–26) का चतुर्थ निश्चय ''उन्नत शिक्षा–उज्जवल भविष्य'' अंतर्गत राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना एवं महाविद्यालयों में पठन–पाठन करने के साथ–साथ शिक्षकों के पदों का भी सृजन की कार्रवाई की जा रही है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये ।

श्री राधाचरण साह : महोदय, उत्तर से मैं संतुष्ट हूं ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–77, श्रीमती कोमल सिंह (क्षेत्र सं0–88, गायघाट)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : 1– वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के 9360 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए 419 विद्यालयों में सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर अधिष्ठापित की जा चुकी है । साथ ही राज्य के शेष कुल 8941 माध्यमिक/उ0 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर अधिष्ठापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में 40,25,00,000/– (चालीस करोड़ पच्चीस लाख) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के बिन्दु पर माननीय मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है, जिसके आलोक में राशि की निकासी की कार्रवाई की जा रही है ।

साथ ही यह भी अंकित करना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजनान्तर्गत दिनांक–31.12.2025 तक कुल 2450542 छात्राओं को कुल 73.52 करोड़ राशि वितरित की गयी है ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त कंडिका 'क' में सन्निहीत है ।

श्रीमती कोमल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है लेकिन एक्सप्टेबल नहीं है । राज्य के 9360 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए 419 विद्यालयों में सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर इंस्टॉल किया जा चुकी है, उत्तर में यह मिला है । लेकिन डिविजन वेंच ऑफ पटना हाईकोर्ट लेट वाय चीफ जस्टिस, विनोद के चन्द्रन, उन्होंने 2023 में एक आर्डर पास किया था कि राज्य के सभी स्कूलों में मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों में सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन और इन्सीनरेटर होना चाहिये और अगर हम देखें तो U-2024–25 का जो डेटा है उसके हिसाब से बिहार में 76320 सरकारी स्कूलें

हैं, जिसमें से 43960 लगभग मिडिल स्कूल और हाई स्कूल हैं । अगर 43960 मिडिल स्कूल और हाई स्कूल हैं और सिर्फ 419 स्कूलों में ये इंस्टॉल किया गया है तो यह 0.95 परसेंट ही इंस्टॉल हुआ है और मैं एक बात और कहना चाहूंगी डॉ0 जया ठाकुर वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मामला था उसमें भी जनवरी, 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट को यह आदेश दिया है कि सभी स्कूलों में चाहे वह प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो । सभी स्कूलों में निःशुल्क बायोडिग्रेडिवल सेनेट्री पैड, सेपरेट टॉयलेट फोर गर्ल्स और एम0एच0एम0 के लिये कॉर्नर स्थापित करना है । मैं यह कहना चाहूंगी चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी और हाईकोर्ट भी यह बात अच्छी तरीके से समझते हैं कि एक्सेस टू मेन्सुरेशनल हाईजीन कोई चैरिटी कन्विनियेंस या फिर चॉइस नहीं है, यह एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत तो मैं बस एक चीज माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि बिहार के सभी स्कूल में कब तक यह सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन लग जायेगा और कब तक इन्सीनरेटर मशीन लग जायेगा ? बस यह जानना है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को और सदन को हम सूचित करना चाहेंगे कि हाल ही में हमलोगों ने केबिनेट से 40 करोड़ रुपया इसके लिये अप्रूव करवाया और यह राशि हमलोगों ने विमुक्त कर दी है बिहार एडुकेशनल प्रोजेक्ट को और साथ ही साथ हमलोगों ने उसका टेंडर भी करा दिया है और 25 तारीख को टेंडर का लास्ट डे है उसके तुरंत बाद टेक्निकल बीड और फाईनेंशियल बीड खुलेगा उसके बाद हमको लगता है दो महीनों में अधिकांश स्कूलों में यह लग जायेगा । इसका हमलोगों ने आकलन किया है फिलहाल हमारे पास जो राशि थी 40 करोड़ की उससे अधिकांश स्कूल आच्छादित हो जायेंगे । जो शेष थोड़े–बहुत रहेंगे उसके हमलोग नेक्स्ट चरण में करायेंगे लेकिन इस 40 करोड़ से अधिकांश स्कूलों को हमलोग आच्छादित कर सकेंगे । धन्यवाद ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–78, श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र सं0–75, सहरसा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि टी0आर0ई0–1, टी0आर0ई0–2 तथा टी0आर0ई0–3 के तहत 8593 कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है । साथ ही टी0आर0ई0–4 में 407 कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, हमने सरकार से यह जानना चाहा था कि जो स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षकों की बहाली के संबंध में, सरकार ने जवाब दिया है कि अभी तक टी0आर0ई0–1 से लेकर टी0आर0ई0–3 तक 8593 और टी0आर0ई0–4 में 407 होने जा रहा है । इसमें मेरा कोई पूरक सवाल नहीं है लेकिन एक सुझाव है सरकार बेसिकली स्टूडेंट टू टीचर रेशियों देखकर बहाली करते जा रही है । बहालियां बहुत बढ़िया हुई है लेकिन बहाली के बाद जो इम्बैलेंस हो रहा है उस पर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जैसे पटना के जितने स्कूल हैं..

टर्न–3 / धिरेन्द्र / 24.02.2026

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बात आ गयी है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, अभी कहां खत्म हुआ है । महोदय, मेरे साथ ही अन्याय कीजियेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछ लीजिये ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, सुझाव दे रहे हैं । पूरक नहीं, सुझाव है । महोदय, जो इम्बैलेंस हुआ है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुझाव दे दीजिये संक्षेप में ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, वही कह रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्वेश्चन ऑवर है, संक्षेप में सुझाव दे दीजिये ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, एक सीरियस मैटर है, वही सुझाव है । महोदय, इम्बैलेंस हुआ है, पटना में 10 पर 01 टीचर है, 05 पर 01 है और पलामू, झारखंड की तरफ जाइये तो 70 पर 01 है, जमुई में 40 पर 01 है । यह इसलिए हुआ है कि जो यू॰पी॰ वाले थे वे यू॰पी॰ बॉर्डर में चले गए...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना सुझाव दीजिये ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, जमुई वाला पटना में चला आया...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, झारखंड वाला नवादा, बांका में...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपसे आग्रह है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, इस इम्बैलेंस को माननीय मंत्री जी थोड़ा देखें और यह जो बहाली टीचर वाला हो रहा है, इतना भर–भर कर जमुई वाला आ गया यहां....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग । गुप्ता जी, बैठ जाइये ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, उन्हीं लोगों में से शिक्षित कीजिये, कंप्यूटर की बहाली में उनको कीजिये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये न । विषय को लंबा मत कीजिये, संक्षेप में पूरक पूछना चाहिए । और मेंबरों का क्वेश्चन भी आयेगा ।

(व्यवधान)

बोलने की अनुमति देंगे तब न । हमने आपको अनुमति दी है ? हमसे पहले अनुमति लीजिये, तब बोलने का मौका देंगे । पहले इनका खत्म होने दीजिये। माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो TRE-4 की अधियाचना हमलोगों ने बी॰पी॰एस॰सी॰ को भेज दी है, जिसमें 45 हजार से ज्यादा विभिन्न विषयों के टीचर्स की आवश्यकता थी तो इसमें देखा गया कि खासकर फिजिक्स, कैमेस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स में टीचरों की कमी थी तो इस वजह से इसको हमलोगों ने प्रथम सूची में रखा और उसको प्रायोरिटी दी है कि ये लोग पहले हो जाए, उसके बाद हमलोग, यह एक सतत प्रक्रिया है नियुक्ति और कंप्यूटर टीचर्स का भी हमलोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है । हमने जवाब में भी दिया है लेकिन तत्काल जिन विषयों में कमी थी उसका हमने आकलन कर भेजा है । जहाँ तक उनका दूसरा ऑब्जरवेशन था और सुझाव था कि जो कई स्कूलों में थोड़े शिक्षक ज्यादा हैं और छात्र कम हैं तो छात्र और शिक्षक के अनुपात की जो बात है तो उसको हमलोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑथरिटी दी है उसको रेश्नलाइज कर जहाँ जिस सब्जेक्ट की जितनी आवश्यकता होगी जिले के अंदर, उनकी कमेटी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, डी॰ई॰ओ॰ और अन्य पदाधिकारी उसमें हैं, उसका आकलन कर उसको सुधार लेंगे । धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ जी, आप क्या बोल रहे थे ? एक पूरक सिर्फ पूछिये ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा था कि 26 हजार पद खाली हैं । माननीय मंत्री जी के माध्यम से भी प्रेस में कहा गया और मुख्यमंत्री जी का फोटो लगाकर चुनाव से पहले भी कहा गया कि 26 हजार केवल कंप्यूटर साईंस के बच्चों के लिए पोस्ट खाली है । अब स्मार्ट क्लासेज सब जगह बना हुआ है। सरकार जो...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी विस्तार से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, मेरा भी प्रश्न है । सरकार कह रही है कि 407 पदों पर हम कंप्यूटर साईंस की बहाली करेंगे । महोदय, सरकार क्या कर रही है कि जो पहले से शिक्षक हैं, उनको ही 10 दिनों का ट्रेनिंग देकर कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर शिक्षक हो गए तो महोदय, 26 हजार पद अगर सरकार कह रही है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आग्रह कर लीजिये ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, थोड़ा आगे–पीछे हो सकता था लेकिन सीधे 407 पद पर लाकर बहाली सरकार कर रही है । महोदय, यही सवाल मेरा भी है, थोड़ा पीछे आ गया है, सेम सवाल है लेकिन वहां भी जवाब वही है 407 पद तो सरकार द्वारा घोषित जो पद है, कम–से–कम उसका आधा भी तो आप लातें । यही मेरा सरकार से सवाल है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, देख लीजियेगा ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, माननीय मंत्री जी से बोलवा दीजिये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी देख लेंगे, हमने आदेश दे दिया है ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–79, श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र संख्या–99, बैकुण्ठपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में STET परीक्षा के लिए मार्गदर्शिका में उत्तीर्णांक का निर्धारण किया गया है । उक्त संकल्प में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्णांक में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है ।

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियाँ तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है । उक्त अधिसूचना में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (EWS) को न्यूनतम उत्तीर्णांक में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है ।

वर्णित स्थिति में STET परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (EWS) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम उत्तीर्णांक में छूट देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर प्राप्त है लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, यह उत्तर बिहार को एड्रेस नहीं करता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह कहना है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें ई॰डब्ल्यू॰एस॰ से जो रिजर्वेशन मिलते हैं बच्चों को, उसमें 05 परसेंट की छूट नहीं दी जा सकती, उन्होंने कहा कि इसका कोई प्रावधान नहीं है । मैं सरकार को केवल आपके माध्यम से यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद–14 कहता है कि राज्य भारत के भू–भाग के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछ लीजिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, यह संविधान की अवधारणा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा है कि पटना हाईकोर्ट का दिनांक–16.09.2025 का आदेश है मेरे पास, इसी प्रकार का एक छात्र कोर्ट की शरण में जाता है और माननीय उच्च न्यायालय सरकार को डायरेक्शन देती है कि चीफ सेक्रेट्री या एडिशनल चीफ सेक्रेट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट को वह बच्चा अपना आवेदन देगा और उसके ऊपर सरकार निर्णय लेगी तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार संविधान संशोधन 103 में, जिसमें ई॰डब्ल्यू॰एस॰ को सरकारी नौकरियों में

आरक्षण का प्रावधान दिया है जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है अध्यक्ष महोदय, किसी के आरक्षण को बिना प्रभावित किए ई॰डब्ल्यू॰एस॰ के जो बच्चे हैं उनको 05 परसेंट, जब सबको मिलता है तो उनको भी 05 परसेंट का रिलेक्सेशन मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब सुन लीजिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, और जब हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है तो सरकार को चाहिए कि उस डायरेक्शन के आलोक में त्वरित इस पर कार्रवाई करे क्योंकि अनुच्छेद–15(6) और 16(6) यह उससे प्रभावित होता है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि चीफ सेक्रेट्री या एडिशनल चीफ सेक्रेट्री को निर्देशित करेंगे कि पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको तुरंत लागू किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने उत्तर में हमने स्पष्ट कहा है कि जो 10 प्रतिशत का ई॰डब्ल्यू॰एस॰ का प्रावधान है वह हमलोग TRE में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बिल्कुल लागू कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है । उनका जो पूरक प्रश्न है वह उन परीक्षाओं में एक सर्टेन परसेंटेज रिलेक्सेशन की बात कर रहे हैं तो अगर जहाँ तक हाईकोर्ट के आदेश का सवाल है तो उस हाईकोर्ट के आदेश को हमलोग अवलोकन कर लेंगे, उसमें विचार करने का विषय है या फिर स्पष्ट निर्देश है तो दोनों स्थिति में हमलोग देखेंगे और जो आपने कंस्टीच्यूशन के प्रावधानों की बात की, उसके आलोक में हमलोग शीघ्र उसका आकलन कर लेंगे, अगर उसमें उस तरह की जो कमी रही है, अभी तक तो हमलोगों को नहीं लग रहा था, उस पर निश्चित रूप से हमलोग कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यह एक तस्वीर है, यह ई॰डब्ल्यू॰एस॰ छात्र की तस्वीर है, जिसने वर्ष 2019 में, यह बच्चा फांसी लगाकर मर जाता है, गरीबी से तंग आकर...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आगे ऐसा नहीं होगा, यह सरकार ने कहा है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपका बिल्कुल संरक्षण प्राप्त है सदन को । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि जब पटना उच्च न्यायालय को अगर लगता, माननीय न्यायालय को कि यह गलत है तो उस केस में सीधे डायरेक्शन देते कि यह नहीं हो सकता लेकिन अगर माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को कहा है कि आवेदन लेकर, और यह कोई गैर वाजिब डिमांड भी नहीं है जो सभी को मिलता है 05 परसेंट का रिलेक्सेशन...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, वही ई॰डब्ल्यू॰एस॰ मांग रहा है तो सरकार तुरंत इस पर विचार करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, निश्चित तौर पर सरकार समीक्षा कर विचार करेगी । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–''क''–911, श्री नंद किशोर राम (क्षेत्र संख्या–02, रामनगर(अ॰जा॰))

(लिखित उत्तर)

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1–स्वीकारात्मक ।

2–आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। भारत–नेपाल सीमा पर सोमेश्वर में अवस्थित माँ कालिका मंदिर में चैत्र नवरात्र के समय भारत तथा नेपाल के श्रद्धालु काफी संख्या में दर्शन हेतु पहुँचते हैं। उँचाई पर अवस्थित होने के कारण यहाँ से हिमालय के अन्य पर्वत श्रृंखलाओं का अवलोकन होता है। गोवर्धना प्रक्षेत्र कार्यालय से सटे सिंगहा नदी से पगडंडी प्रारंभ होती है, जो वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष का कोर क्षेत्र है। चैत्र नवरात्र के अवसर पर मात्र 9 दिनों के लिए श्रद्धालुओं को अनुमति प्रदान की जाती है।

यह क्षेत्र विभिन्न महत्वपूर्ण वन्यजीवों को प्राकृतिक अधिवास प्रदान करता है, जिस कारण इसे वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। बाघ, तेन्दुआ एवं भालू जैसे वन्यजीवों के अधिवास स्थल होने के कारण जान–माल की क्षति होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। व्याघ्र आरक्ष को कोर क्षेत्र में रोप–वे जैसी सुविधाओं की स्थापना से वन्यप्राणी अधिवास एवं संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के अनुसार व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र में ऐसी गतिविधि अनुमान्य नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको उत्तर मिला है ?

श्री नंद किशोर राम : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है लेकिन उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री नंद किशोर राम : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रामनगर के गोवर्धना भारत–नेपाल सीमा पर...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, रोप–वे का निर्माण चाहते हैं ?

श्री नंद किशोर राम : महोदय, सुन लिया जाय । सोमेश्वर में माँ कालिका का मंदिर है तो वहां सरकार ने आदेश दिया है कि वन्य प्राणी की वजह से रोप–वे स्थापित नहीं किया जा सकता । इस पर मेरा पूरक है कि क्या मंत्री जी व्याघ्र आरक्ष कोर क्षेत्र में रोप–वे जैसी सुविधाओं की स्थापना में कठिनाई है तो क्या सरकार

राजगीर के तर्ज पर ग्लास ब्रिज बनाने की मंशा रखती है जिससे वन्यप्रणी अधिवास एवं संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक तो जो मंदिर है वहां साल में मात्र नौ दिन ही, जब दुर्गापूजा का त्यौहार होता है उसमें ही आम जनता को जाने की अनुमति है, वह पूरी तरह से सेंचुरी एरिया है, जहां जीव–जन्तु को विचरण करने के लिए पूरी छूट है और वहां नवरात्र में नेपाल से भी लोग पहुंचते हैं । ऊंचाई पर अवस्थित होने के कारण यहां से हिमालय के अन्य पर्वत श्रृंखलाओं का अवलोकन होता है । गोवर्धन प्रक्षेत्र कार्यालय से सटे सिंगहा नदी से पगडंडी प्रारंभ होती है जो वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष का कोर क्षेत्र है। अध्यक्ष महोदय, कोर क्षेत्र उसको कहते हैं जहां कि जंगल के जीव–जन्तु प्रजनन करने के लिए उनका एक एरिया है जिससे अपने आपको वे सुरक्षित महसूस करते हैं। यदि हम वहां किसी तरह के निर्माण का काम करेंगे तो जीव–जन्तु पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इसलिए वह एरिया पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है तो इसलिए वहां पर किसी तरह का निर्माण कार्य करने में जंगली जीव–जन्तु, जितने जानवर हैं उन पर दुष्परिणाम प्रभाव पड़ेगा । इसलिए यहां हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उस एरिया को कहीं भी आप छेड़–छाड़ नहीं कर सकते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती सोनम रानी ।

श्री नंद किशोर राम : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । इतना स्पष्ट जवाब आया है ।

(व्यवधान)

हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सेंचुरी एरिया में किसी प्रकार का निर्माण नहीं होगा । बैठ जाइये । माननीय सदस्या श्रीमती सोनम रानी ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, वहां राजगीर की तरह करने की बात हो रही है और माननीय मंत्री जी एक बार भ्रमण कर लें क्योंकि माननीय मंत्री जी के पास जो उत्तर है, वह उत्तर सही नहीं है । हमलोग वहां के रहने वाले हैं ।

टर्न–4 / पुलकित / 24.02.2026

अध्यक्ष : मंत्री जी एक बार पुनः समीक्षा कर लीजिए ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : राजगीर और उसमें, दोनों में अंतर है । राजगीर जो है वह बाघ परियोजना नहीं है, टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है और वह टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र है। इसलिए दोनों में अंतर है, दोनों का कार्य क्षेत्र अलग–अलग है ।

तारांकित प्रश्न सं0–1970, श्रीमती सोनम रानी (क्षेत्र सं0–44, त्रिवेणीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि सुपौल जिलान्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय परसाही हाट, प्रखंड–त्रिवेणीगंज में नामांकित बच्चे की संख्या–376, कुल शिक्षकों की संख्या प्रधानाध्यापक सहित 10 है। कुल वर्ग कक्ष की संख्या–08, कार्यालय कक्ष–01, विज्ञान प्रयोगशाला 03 एवं आई0सी0टी0 लैब 01 उपलब्ध है।

विद्यालय को 17 कट्ठा 06 धूर भूमि उपलब्ध है, जिसमें से लगभग 10 धूर जमीन पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अंचलाधिकारी, त्रिवेणीगंज को पत्रांक–238, दिनांक–21.02.2026 के द्वारा अतिक्रमणमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

विद्यालय द्वारा ई–शिक्षाकोष के माध्यम से राज्य कार्यालय से चहारदीवारी के निर्माण हेतु अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय परसागढ़ी उत्तर, प्रखंड–त्रिवेणीगंज में नामांकित बच्चों की संख्या–450, शिक्षकों की संख्या प्रधानाध्यापक सहित 09, कुल वर्ग कक्ष की संख्या–08, कार्यालय कक्ष–01, विज्ञान प्रयोगशाला 03 एवं आई0सी0टी0 लैब 01 उपलब्ध है।

विद्यालय की भूमि पर वर्तमान में अतिक्रमण नहीं है, परंतु चहारदीवारी नहीं रहने के कारण ई–शिक्षाकोष के माध्यम से राज्य कार्यालय से अनुरोध किया गया है। बी0एस0ई0आई0डी0सी0, पटना द्वारा प्राक्कलन तैयार कर विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी। तत्पश्चात् विभाग द्वारा राशि स्वीकृत कर प्राथमिकता के आधार पर उक्त निर्माण कार्य 08 माह में पूर्ण कर ली जायेगी ।

श्रीमती सोनम रानी : उत्तर मिला है, उत्तर से संतुष्ट हूँ । धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0–1971, श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र सं0–134, उजियारपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–1972, श्री अवधेश सिंह, (क्षेत्र सं0–123, हाजीपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : 1– स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि नियमावली 1991 के तहत नियुक्त वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक, जिनकी नियुक्ति 31.12.1995 के पूर्व हुई है, उन्हें वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6022, दिनांक–18.12.1989 के आलोक में नियुक्ति तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से वरीय वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

2– स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या–6022, दिनांक–18.12.1989, दिनांक–31.12.1995 तक प्रभावी था। तद्पोरांत वित्त विभाग द्वारा संकल्प संख्या–660, दिनांक–08.02.1999 निर्गत की गई जो दिनांक–01.01.1996 से प्रभावी था । उक्त संकल्प में अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतनमान रुपये 3050–4590/– अनुमान्य किया गया है।

3– खण्ड ग का उत्तर क तथा ख में सन्निहित है।

श्री अवधेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, लेकिन हमने जो प्रश्न किया है उसके थोड़ा लगता है कि बगल का उत्तर है । हमने साफ–साफ पूछा है कि 1994 बैच के अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान नियुक्ति तिथि से दिया गया है, वही वेतनमान स्नातक अप्रशिक्षित शिक्षकों को सरकार देना चाहती है या नहीं देना चाहती ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, हमने उत्तर में स्पष्ट किया है । वित्त विभाग का परामर्श लेकर ही हम लोगों ने यह किया है । जब भी इस तरह के वेतनमान की स्थिति उत्पन्न होती है, और जो आगे आती हैं तो हम लोगों की जो समीक्षा होती है उसके बाद हम लोग इसको वित्त विभाग भेजते हैं । जहां से वे इसका पुनरीक्षण करके उसके बाद अपना जवाब देते हैं जिसको हम लोगों को लागू करना पड़ता है । अगर वे चाहेंगे तो पुनः हम लोग इसकी समीक्षा के लिए भेज देंगे, लेकिन हम लोग तो बाध्य हैं सभी डिपार्टमेंट्स वित्त विभाग के परामर्श से और उनके आदेश से । इसलिए हम लोगों ने किया और माननीय सदस्य अगर चाहते हैं, तो पुनः हम उसको भेज देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1973, श्री मो0 सरवर आलम (क्षेत्र सं0–55, कोचाधामन)</u>

(मुद्रित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला के किशनगंज प्रखण्ड के दौला हाई स्कूल में पूर्व से निर्मित 4 फीट ऊँचाई वाले 205 फीट लम्बे चहारदीवारी को ऊँचा करने की आवश्यकता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा विद्यालय में आधारभूत संरचना तथा नया चहारदीवारी निर्माण की आवश्यकता संबंधी विवरणी ई–शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्टि की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक– बी0ई0पी0–161, दिनांक–31.01.2026 द्वारा प्रबंध निदेशक, बी0एस0ई0आई0डी0सी0, पटना से चहारदीवारी निर्माण हेतु अनुरोध किया गया है। बी0एस0ई0आई0डी0सी0, पटना के द्वारा उपलब्ध कराए प्राक्कलन के आधार पर विभाग द्वारा राशि स्वीकृत कर निर्माण कार्य अगले छः माह में करा लिया जाएगा।

श्री मो0 सरवर आलम : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है परंतु मेरा एक पूरक है । पूरक यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज द्वारा पत्रांक बी0ई0पी0–161,

दिनांक–31.01.2026 द्वारा लिखा गया है कि वहां पर कई स्कूल हैं जिसमें चहारदीवारी की सख्त जरूरत है । मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूँ कि जिसमें उन्होंने जिक्र किया है सुकर्णा, हिम्मत नगर और किशनगंज के दौला पंचायत का और कई स्कूल हैं जिसमें भवन भी जर्जर है । एक हमारे वहां बालिका उच्च विद्यालय, सुंथा में है, जहां पर चहारदीवारी निर्माण की सख्त जरूरत है, वहां पर गेट नहीं है, वहां पर कई कमरे हैं जो जर्जर है । उसी तरह से कई स्कूल हैं । मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री वहां पर शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा वहां वेरिफिकेशन करा करके मेरे क्षेत्र में जितने भी स्कूलें हैं जिनमें जरूरत हैं उनकी चहारदीवारी का निर्माण करा दिया जाए, गेट निर्माण करा दिया जाए । मंत्री महोदय, कब तक करा देंगे यह भी बता दें ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न किया था उसका तो हम लोगों ने संज्ञान लेकर के अगले छह माह में कराने का वादा किया है । लेकिन यह बात सही है कि अन्य स्कूल हैं जिसका जिक्र किया गया है, जिसका जिक्र माननीय सदस्य भी कर रहे हैं और उसका पोर्टल पर भी आ गया है । महोदय, चरणबद्ध तरीके से हम लोग किशनगंज के स्कूल, और भी ऐसे स्कूल हैं उसको हम लोग इस वित्तीय वर्ष में कोशिश करेंगे कि करा दें ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1974, श्री अनिल कुमार (क्षेत्र सं0–24, बथनाहा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : 1–स्वीकारात्मक है ।

2– वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार के बजट अप्रूवल बोर्ड द्वारा प्राथमिक विद्यालय, ढोढराहा में 03 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 01 प्राधानाध्यापक कक्ष, 02 यूनिट शौचालय एवं बोरिंग का निर्माण हेतु 41,80,000/– (एकतालीस लाख अस्सी हजार) रुपये स्वीकृत है ।

बी0एस0ई0आई0डी0सी, पटना द्वारा एन0आई0टी–37 वर्ष 2025–26/34 के माध्यम से संवेदक का चयन कर लिया गया है ।

अगले 06 माह में पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

श्री अनिल कुमार : महोदय, पूछता हूं ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है अनिल बाबू ?

श्री अनिल कुमार : जी उत्तर प्राप्त हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी को और सरकार को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ । हमारे बथनाहा विधान सभा में बकरी पंचायत के ढोढराहा ग्राम में जो प्राथमिक विद्यालय नहीं था, माननीय मंत्री जी ने लगभग 42 लाख की राशि से उसको स्वीकृत करने का काम किया है । पुनः एक बार माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0–1975, श्री वीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र सं0–234, वजीरगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : 1–स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी प्रखंडों में मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है ।

2– आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

जिला पदाधिकारी, गयाजी के पत्रांक–70, दिनांक–18.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वजीरगंज प्रखंड के केदारनाथ उच्च विद्यालय, तरवाँ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–152, दिनांक–03.04.2025 द्वारा 200 मीटर एथलेटिक्स ट्रैकयुक्त आउटडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

मानपुर प्रखंड में मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम निर्माण नही हो सका है। मानक के अनुरूप भूमि का प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्टेडियम निर्माण संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

वर्तमान में मानपुर प्रखंड के कुल–07 पंचायतों में वी0बी0–जी0आर0ए0एम0–जी0 अंतर्गत पंचायत स्तरीय खेल मैदान निर्मित है।

3– इस खंड का उत्तर उपरोक्त कंडिका–02 में सन्निहित है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : महोदय, पूछता हूं ।

अध्यक्ष : वीरेंद्र जी, जवाब मिला है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जी जवाब मिला है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : ठीक है । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पूरे बिहार में अभी तक कितना स्टेडियम बना है और क्या लक्ष्य है ?

अध्यक्ष : आपका मूल प्रश्न तो वजीरगंज विधान सभा क्षेत्र का है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जी, महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम निर्माण योजना 2007–08 से संचालित है और उस योजना के तहत अभी 257 प्रखंडों में कार्य पूरा हो गया है । महोदय, 10 प्रखंड स्टेडियमों का कार्य अपूर्ण है । 29 जगह पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है । निर्माणाधीन या उसकी अद्यतन प्रक्रिया जो आगे है वह 46 प्रखंडों में है । महोदय, वित्तीय वर्ष 2025–26 में 77 प्रखंडों में स्टेडियम की स्वीकृति दी गई है और 15 जगह से प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है । अब चूंकि 125 जगह प्रखंडों में ऐसी है जहां से प्रस्ताव प्राप्त नहीं है, उसका एक मुख्य कारण है कि मानक के अनुरूप भूमि की उपलब्धता नहीं है । जहां भूमि की उपलब्धता होगी वहां भी बनाया जाएगा । सरकार तो खेल को

बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्पित है। जहां–जहां भूमि की उपलब्धता हो रही है क्रमवार ढंग से बनाया जा रहा है, इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि भूसुण्डा स्टेडियम का है । हम सबों के बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं । मुख्यमंत्री जी ही 2010 में छह लेन पुल का शिलान्यास किये थे और उस स्टेज पर आप भी थे । माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि यहां भूसुण्डा में स्टेडियम बनेगा । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि भूसुण्डा बड़ी महत्वपूर्ण जगह है । अध्यक्ष महोदय आप भी गयाजी के हैं, आप भी जानते हैं । मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि समय सीमा मुझे बता दें कि कब तक भूसुण्डा में स्टेडियम बनकर तैयार होगा ?

अध्यक्ष : मंत्री जी, बता दिया जाए ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वजीरगंज से विधायक हैं तो इनकी चिंता स्वाभाविक है कि विधान सभा के अंदर वजीरगंज प्रखंड में तथा मानपुर प्रखंड में, दोनों जगह एक–एक स्टेडियम बने । महोदय, जो अद्यतन स्थिति है कि वजीरगंज प्रखंड के केदारनाथ उच्च विद्यालय, तरवाँ में विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या–152, दिनांक 03.04.2025 द्वारा 200 मीटर एथलेटिक्स ट्रैकयुक्त आउटडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है । महोदय, एक प्रखंड का तो मैंने बता दिया और जो दूसरा मानपुर प्रखंड है वहां से मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम निर्माण नहीं हो सका है। लेकिन हम अभी प्रयासरत हैं, जैसे ही मानक के अनुरूप भूमि का प्रस्ताव प्राप्त होगा निर्माण संबंधी अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी । महोदय, हमने तो पहले कहा है कि सरकार चाहती है कि हर जगह स्टेडियम बने ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे समय सीमा बतावें । भूमि का जो मानक स्वरूप देना है, तो यह सरकार का जिम्मा न है कि सरकार भूमि को देगी और भूसुण्डा में आप देखे हुए हैं कि वहां बहुत बड़ा स्थल है, वहां जमीन की कमी नहीं है ।

अध्यक्ष : जिला पदाधिकारी, गया से प्रतिवेदन मांग लिया जाए ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पुनः जिला अधिकारी से मांग की जाएगी कि भूमि उपलब्ध करायी जाए और माननीय सदस्य भी आग्रह करेंगे । माननीय सदस्य बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं वहां भूमि उपलब्धता में सहयोग करें । जैसे ही भूमि उपलब्ध होगी विभाग कार्रवाई शुरू करेगी ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : महोदय, इसी वित्तीय वर्ष में करा दिया जाए ।

अध्यक्ष : एकदम आज ही खबर कर देंगे ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : महोदय, बिना भूमि के स्टेडियम का निर्माण संभव नहीं है सब लोगों को पता है । भूमि उपलब्ध जैसे होगी निर्माण शुरू करा देंगे ।

अध्यक्ष : आज पत्राचार कर लीजिए डी0एम0, गयाजी से ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : ठीक है ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने खंड–1 के उत्तर में कहा है कि बिहार में 2008–09 से अब तक 374 स्टेडियम की स्वीकृति दी गयी थी । महोदय, अब तक 374 में से मात्र 252 स्टेडियम का निर्माण हुआ । महोदय, 122 स्टेडियम अब शेष रह गये । मंत्री जी इतना ही बता दें कि जो 122 स्टेडियम जो अपूर्ण है, वह कब से लंबित है और कब तक उसको पूर्ण किया जाना था ?

अध्यक्ष : राहुल जी आप भी पूछ लीजिए । एक बार मंत्री जी जवाब दे दीजिएगा ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, माननीय मंत्री ने कहा की मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह मानक क्या है ? क्योंकि जहां पर विधायक जी कह रहे हैं चौड़ी सड़क है, एक साईड बढ़िया नदी है । सम्पूर्ण रूप से पहुंचने की व्यवस्था है तो मानक क्या है ? माननीय मंत्री जी यह बतावें ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, मेरा भी एक सवाल था । मानक के आधार पर जवाब मिला है कि दुर्गावती प्रखंड में भूमि कम है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आउटडोर स्टेडियम निर्माण के लिए मानक क्या है और निमार्णाधीन स्टेडियम में कौन–कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है ।

मानक क्या है ? क्या–क्या उपलब्ध होता है, दोनों प्रखंडों के लिए बता दिया जाए ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मानक की कॉपी सारे माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जाए । सभी माननीय सदस्यों को कल आप मानक की कॉपी उपलब्ध करा दीजिए।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1976, श्री रोमित कुमार (क्षेत्र सं0–233, अतरी)</u>

(मुद्रित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : 1– स्वीकारात्मक । गयाजी जिलान्तर्गत प्रखंड मुख्यालय मोहड़ा एवं अतरी से गयाजी मार्ग अधिसूचित नहीं है ।

2– उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री रोमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ । अतरी विधान सभा स्थित गहलौर जेठियन एवं तपोवन पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल हैं ।

अतः गया मुख्यालय से गहलौर जेठियन तपोवन होते हुए राजगीर तक नियमित बस सेवा प्रारंभ की जाए जिससे अंतरराष्ट्रीय...

टर्न–5 / हेमन्त / 24.02.2026

अध्यक्ष : रोमित जी, उत्तर मिला हुआ है न ?

श्री रोमित कुमार : उत्तर मिला है कि नहीं हो सकता है। वही मैं बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष : संक्षेप में पूछ लीजिए।

श्री रोमित कुमार : वह इंटरनेशनल टूरिस्ट की जगह है, तो उसको अगर राजगीर और गयाजी से जोड़ दिया जाता, तो पर्यटकों को उससे लाभ होता, दोनों तरफ के पर्यटक आते और दशरथ मांझी जी का इतना बड़ा पवित्र स्थल है उससे एक कनेक्टिविटी गयाजी और राजगीर दोनों को मिल जाती।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता है कि जो पर्यटक स्थल है, उसमें बस सेवा चालू की जाए और नागरिकों के साथ–साथ पर्यटकों को भी यह सुविधा प्रदान की जाए। महोदय, इनको जिस पथ की चिंता है, वह अधिसूचित नहीं है। अधिसूचित करने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि सरकार भी चाहती है कि जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, उनमें सुविधा उपलब्ध की जाए। महोदय, हमारी बसें खरीदी जा रही हैं और जैसे ही निगम की बसें खरीद कर आ जाएंगी, ये पर्यटक स्थल का ध्यान रखेंगे। ऐसे माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पटना से बोधगया वाया फतुहा, इस्लामपुर, बेन, सिराओ, राजगीर, तपोवन, गहलौर होते हुए बोधगया मार्ग को अधिसूचित, अभी नहीं किया गया है, लेकिन अधिसूचित करके उस पर बस सेवा जल्द ही हम चलाएंगे।

श्री रोमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, भथानी एक जगह है, जो बहुत पिछड़ा इलाका है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वहां से भी गयाजी मुख्यालय 60 किलोमीटर पड़ता है। उसको भी एक बस सेवा दी जाए। सर, आपके बगल का है, वह राजगीर और नालंदा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और गयाजी मुख्यालय से 60 कि.मी. की दूरी पड़ जाती है। गरीब लोगों को कम से कम छह बार ऑटो बदल कर जाना पड़ता है और हमारे माननीय मंत्री जी बगल के हैं, गार्जियन हैं, उस क्षेत्र से काफी जुड़े रहते हैं। तो दो बस की सेवा दी जाए, एक टूरिस्ट के लिए और एक भथानी और खिजरसराय होते हुए मुख्यालय को जोड़ा जाए। माननीय मंत्री जी से मैं मांग करता हूं, दो बस की सुविधा वहां दी जाए।

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर सरकार दिखवाकर अग्रेतर कार्रवाई करेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या–1977, श्रीमती कोमल सिंह (क्षेत्र संख्या–88, गायघाट)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : उत्तर कंडिका 1, 2 एवं 3 ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अभिभाषण एवं सात निश्चय–3 के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखण्ड, जहां पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं है, उन प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

इस क्रम में विभागीय पत्रांक–40, दिनांक–14.01.2026 द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारी से डिग्री कॉलेज से अनाच्छादित प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना एवं पर्याप्त भूखंड की उपलब्धता से युक्त राजकीय बुनियादी विद्यालयों/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/मॉडल स्कूल/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/अन्य उपयुक्त संस्थान को चिन्हित करते हुए विभाग में उनकी सूची उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है।

मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट विधानसभा क्षेत्र में गायघाट एवं बंद्रा प्रखंड पड़ता है। बंद्रा प्रखंड में पूर्व से रूकमिणी देवी डिग्री कॉलेज संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के रूप में संचालित है।

वर्णित स्थिति में मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट विधानसभा क्षेत्र के बंद्रा प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती कोमल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। लेकिन मेरा सवाल था माननीय मंत्री जी से कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गायघाट प्रखंड में जारंग हाई स्कूल है, उच्च विद्यालय, जहां जमीन उपलब्ध है डिग्री कॉलेज के लिए, लेकिन गाय घाट प्रखंड की बात नहीं करके मुझे उत्तर में बंद्रा प्रखंड का जिक्र किया गया है कि बंद्रा प्रखंड में रुक्मणी देवी डिग्री कॉलेज संचालित है। पहला तो मेरा सवाल यह है कि बंद्रा प्रखंड में जिस रुक्मणी देवी डिग्री कॉलेज संचालित किए जाने की बात की जा रही है, एक तो वह अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है। वह संचालित नहीं है। तो जिस अधिकारी ने यह जवाब दिया है, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वह भ्रमित जवाब दे रहे हैं सदन में ? महोदय, दूसरा सवाल है कि गाय घाट विधानसभा में, जो गाय घाट प्रखंड है, जहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो सात निश्चय तीन के तहत क्या वहां पर डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा और कब तक ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सात निश्चय तीन और जो बजट भाषण में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो उसका हम लोग पालन निश्चित रूप से कर रहे हैं और हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से भूमि के संबंध में वैसे

प्रखंडों की सूची मांगी थी, जहां वह बिल्कुल किसी भी डिग्री कॉलेज से, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, आच्छादित नहीं हो। अगर माननीय सदस्या संतुष्ट नहीं हैं, तो पुनः इसको हम दिखवा लेंगे। मगर वहां एक भी प्राइवेट या सरकारी तो खैर है ही नहीं, अगर वहां नहीं होगा, तो निश्चित रूप से इसको हम लोग टेक अप करेंगे। उसमें अगर जरूरत पड़ी, तो 233 में इसको जोड़ लेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह विषय मुजफ्फरपुर का है, आपके क्षेत्र का नहीं है। प्लीज, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

वह आप अलग से दे दीजिए। आप सीनियर मेम्बर हैं, पार्लियामेंट के मेम्बर भी रहे हैं। जो क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर जिले का है। अपने जिला पूर्णिया का देना होगा, तो अलग से दे दीजिएगा।

श्रीमती कोमल सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक रिक्वेस्ट है मंत्री जी से, क्योंकि सुरक्षित बिहार और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में छात्र और छात्राओं की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि बिहार में लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ रहा है। तो माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पहले से भवन बना हुआ था, विद्यालय बना हुआ है, वह अभी थोड़ा जर्जर हो गया है और वहां पर कक्षाओं की कमियां भी हो गई हैं। छात्र–छात्राओं की संख्या बढ़ने की वजह से कक्षाएं कम हो गई हैं। जैसे साइंस लैब की ही हम बात करें, तो सामग्री है, लेकिन क्लासरूम की कमी है।

अध्यक्ष : आप विषय को संक्षेप में रखिये।

श्रीमती कोमल सिंह : उसमें भी मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि रीडेवलपमेंट करते हुए क्लासरूम को बढ़ाया जाए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, दिखवा लीजिए। दिखवा लेंगे।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1978, श्री संजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या–76, सिमरी बख्तियारपुर)</u>

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के महिषी प्रखंड के सिरवार–वीरवार पंचायत में...

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न ?

श्री संजय कुमार सिंह : महोदय, उत्तर नहीं मिला है अभी तक।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, हमने उत्तर में लिखा है कि वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक विद्यालय विजवार में 01 वर्ग कक्ष, 02 क्रियाशील शौचालय एवं चाहरदीवारी उपलब्ध है। अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण हेतु लगभग तीन कट्ठा भूमि भी उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में 05 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 01 प्रधानाध्यापक कक्ष

एवं 01 रसोईघर के निर्माण हेतु जिला शिक्षा कार्यालय के ज्ञापांक द्वारा प्रबंध निदेशक, बी0एस0ई0आई0डी0सी0 को पत्र दिया गया। उस आलोक में हमने निर्माण कार्य बी0एस0ई0आई0डी0सी0, पटना को स्वीकृत करते हुए अगले आठ माह में पूर्ण करने का निर्देश दिया है।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करेंगे कि मेरा विधानसभा, जो कि एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, तो उसमें कई ऐसे स्कूल हैं जिसमें भवन कक्ष नहीं है। कई चदरा के मकान में चल रहे हैं, जैसे झारा है।

अध्यक्ष : इसमें उल्लेख नहीं है।

श्री संजय कुमार सिंह : तो इसको माननीय मंत्री जी अगर शिक्षा पदाधिकारी से दिखा लेंगे,...

अध्यक्ष : अभी आप लिखकर दे दीजिए माननीय मंत्री जी को। शेष का आप लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दें, वह दिखवा लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या–1979, श्री नितेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या–58, कसबा)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अभिभाषण एवं सात निश्चय–3 के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखंड, जहां पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं है, उन प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में विभागीय पत्रांक–40, दिनांक–14.01.2026 द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारी से भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

पूर्णिया जिलान्तर्गत कस्बा विधानसभा क्षेत्र के कस्बा प्रखण्ड में पूर्व से एम0एल0 आर्या कॉलेज, कस्बा एक डिग्री महाविद्यालय के रूप में संचालित है।

वर्णित स्थिति में कस्बा प्रखंड में कोई डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री नितेश कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है, उत्तर से संतुष्ट भी हूं और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जिन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां पर बनाने का सात निश्चय–3 में निर्णय लिया है। मंत्री जी से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जलालगढ़, श्रीनगर और के नगर प्रखंड में जब जिला अधिकारी भूमि चिन्हित करके भेजते हैं, तो उनको जल्द से जल्द बनाएंगे और एक सवाल हमारा इसके बाद आने वाला है, 2110 नंबर पर, जिसमें मैंने सिर्फ एक स्कूल का जिक्र किया था। हमारे विधानसभा में 405 स्कूल हैं,..

अध्यक्ष : अलग से लिखकर दे दीजिए।

श्री नितेश कुमार सिंह : सर, मैंने वो दिया हुआ है 405 स्कूल हैं, जिसमें तकरीबन 2652 प्रॉब्लम हैं। तो मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे विधानसभा के स्कूलों

को लेकर एक बार रिव्यू कर लें और छोटी–मोटी प्रॉब्लम हैं, जो आसानी से सॉल्व हो सकती हैं।

अध्यक्ष : रिव्यू कर लीजिएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या–1980, श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या–59, बनमनखी (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : 1–स्वीकारात्मक।

2– पूर्णियाँ जिला अंतर्गत पूर्णियाँ से बनमनखी मार्ग पर महिलाओं को सुलभ एवं सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान मे पूर्णियाँ कमिशनरी से special Permit प्राप्त कर पिंक बस का परिचालन करवाया जा रहा है।

3– स्थायी परमिट प्राप्त करने के लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। परमिट प्राप्ति के पश्चात परमिट में अंकित समय सारणी के तहत गाड़ियों का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अध्यक्ष : ऋषि जी, उत्तर मिला है ?

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : महोदय, उत्तर मिला है।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : मंत्री जी, स्वयं स्वीकार किये हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि पूर्णिया से बनमनखी बस चलती है। बस चल रही है, बस में महिला कंडक्टर है, उसका ना कोई परमिट है और बस कहां रुकेगी, इसका स्थान चिन्हित नहीं है। दूसरा कि बस में आप प्रति किलोमीटर भाड़ा तो तय कीजिएगा कि भाड़ा कितना देना होगा? सर, यह कोई तय नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप बस का परमिट कब तक दीजिएगा ? उसका भाड़ा क्या तय कीजिएगा ? उसका स्टॉपेज जो होगा, जिस जगह पर रुकेगी, वहां कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है कि उसका कौन पर्ची काटेगा कि नहीं काटेगा। इसलिए इसका सुनिश्चित किया जाए।

अध्यक्ष : बस का नाम मालूम है ?

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : बस का नाम तो नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष : पिंक बस। बिहार में बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए पिंक बस की शुरुआत की है। माननीय मंत्री।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत अच्छा है और माननीय सदस्य चिंतित हैं कि महिलाओं को कैसे प्रोटेक्शन दी जाए, उनको कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए ? उसके लिए बिहार की सरकार और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिंक बसों का संचालन किया है, निर्देश दिया है। महोदय, 100 बसे राज्य भर में संचालित कर रहे हैं और सभी बसों पर महिला ड्राइवर और महिला कंडक्टर की व्यवस्था की जा रही है,

लेकिन उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अभी तक हम लोगों ने राज्य में सात लोगों को बस के परिचालन का लाइसेंस दिया है। 21 ट्रेनिंग में हैं, इसी महीने के आखिरी तक वह ट्रेनिंग करके पास आउट हो जाएंगे, तो 21 और महिलाओं को हम पिंक बसों पर रखेंगे और उसमें कंडक्टर भी होंगे। लेकिन हमें लगभग 250 महिला चालक चाहिए, इसके लिए हम खोज रहे हैं और जहां भी माननीय सदस्य को पता लगे कि कोई महिला बस का परिचालन करना चाहती है, उनको मुफ्त में ट्रेनिंग, निशुल्क ट्रेनिंग भी देंगे और बसों पर संचालन के लिए काम भी देंगे। माननीय सदस्य की चिंता है कि जैसे बनमनखी में चाहते हैं कि इनको बस मिले। महोदय, तो वहां पर परमिट अभी मिला नहीं है। वह पथ अधिसूचित नहीं है, लेकिन स्पेशल परमिट दे कर वहां पर बसों का संचालन किया जा रहा है। तो माननीय सदस्य को खुशी होनी चाहिए और जैसे ही रूट अधिसूचित कर देंगे, वैसे ही वहां पर परमानेंट उनको परमिट इशू करके हम बसों का संचालन अभी कर रहे हैं और भी ठीक से करेंगे।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : सर, मंत्री जी स्वयं स्वीकार किये कि परमिट नहीं है, महिला कंडक्टर है ये भी स्वीकार किए। सर, मेरा प्रश्न है कि बस जो वहां से खुलती है, किसी बस स्टैंड पर बस रूकेगी ही, वहां से भाड़ा उसका क्या होगा ? मानक तय होना चाहिए कि नहीं कि उसका भाड़ा हम कितना लें ? महिला है उसमें, महिला को सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, लोकल प्रशासन को इसकी जवाबदेही होनी चाहिए कि वहां महिला कंडक्टर है। सर, है क्या कि प्राइवेट बस जो चलती है उसको सरकार ने परमिट दिया है, उसको आगे लगाने नहीं देता है, उसको भगा देता है कि भागो, मेरा परमिट है, तुम्हारा परमिट नहीं है, हम लगाने कैसे देंगे ?

...क्रमशः...

टर्न–6 / संगीता / 24.02.2026

...क्रमशः...

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : महोदय, महिला के लिए इतनी व्यवस्था कर रही है सरकार तो उसको परमिट नहीं दीजिएगा, बस लगाने का जगह नहीं दीजिएगा तो महिला की सुरक्षा क्या होगी ? उसका भाड़ा तय नहीं कीजिएगा तो महिला कैसे जाएगी ? या तो आप कह दीजिए कि महिला को हम फ्री में ले जायेंगे, इतना कर दीजिए ।

अध्यक्ष : सारी बातों को दिखवा लीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, पूरक प्रश्न किया है, वह ठीक प्रश्न किया । उन्होंने कहा कि राज्य भर में जो प्राइवेट बसें चल रही हैं, हमारे सरकारी बसों को प्रचालन में समस्या खड़ा कर रहे हैं । हमारा बस स्टैंड जैसे–गयाजी में बस स्टैंड है और गयाजी के बस स्टैंड के बाहर प्राइवेट बस लगाकर हमारे सारे पैसेंजर को

ले जाते हैं । उसी प्रकार से राज्य के अनेक जहां हमारे सरकारी बसों का परिचालन हो रहा है, बस स्टैंड है, वहां पर भी इस तरह की प्रक्रिया करते हैं, उसपर सख्त निर्देश मैंने पहले दिया है और मैंने अपने सचिव को कहा है कि स्थानीय स्तर पर उसकी बहुत ठीक से समीक्षा करें, एस0पी0 के साथ, डी0एम0 के साथ, कमिश्नर के साथ, और जो प्राइवेट बस के मालिक हमारी गाड़ियों के परिचालन में बाधा करते हैं और खास करके पिंक बसों के परिचालन में बाधा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई 15 दिन के अंदर करेंगे और माननीय सदस्य की चिन्ता दूर करेंगे ।

अध्यक्ष : श्रीमती ज्योति देवी ।

(व्यवधान)

सारी बातें आ गयीं, सरकार ने कहा है पूरी बात की समीक्षा सरकार करेगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी । बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्रीमती ज्योति देवी ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : सर, सर सुन लीजिए न सर...

(व्यवधान)

भाड़ा के लिए फ्री करा दीजिए...

अध्यक्ष : सारी बातों को माननीय मंत्री ने कहा है, भाड़ा हो, कोई गलत तरीके से चल रहा हो...

(व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : सर, भाड़ा कहां तय हुआ है ? सर, भाड़ा किलोमीटर तय हो न सर ।

अध्यक्ष : वेट कीजिए, निश्चित तौर पर ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : सर, भाड़ा तय हो जाए न खाली, या महिला के लिए फ्री कर दे सरकार।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सरकार देख लेगी, देख लेगी सरकार । श्रीमती ज्योति देवी ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : चिन्ता नहीं करें महोदय, भाड़े से संबंधित जो तय किया है विभाग ने, उनको अलग से भिजवा देंगे और कहां–कहां बस रूकेगी, अगर उसकी भी इनको चिन्ता है तो लिखकर दे देंगे, हम उसको माननीय सदस्य की जो चिन्ता है वह भी दूर करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्रीमती ज्योति देवी ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, सर, एक पूरक है सर...

अध्यक्ष : प्लीज अलग से दीजिए, ईमान जी ।

(व्यवधान)

ईमान जी अलग से लिखकर दीजिए, आप एक लिखित सुझाव अपना दे दीजिए ।

तारांकित प्रश्न सं0–1981, श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र सं0–228, बाराचट्टी)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि गयाजी जिला अंतर्गत प्रखंड–मोहनपुर में पेशवार तथा बेलारपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय का वर्गकक्ष वर्तमान में संबंधित मध्य विद्यालय के भवन में संचालित है ।

उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालय का भवन/वर्गकक्ष निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता BSEIDC, गया के पत्रांक–161, दिनांक–13.02.2026 के द्वारा मुख्य अभियंता BSEIDC, पटना को अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया है।

BSEIDC, पटना से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर विभाग द्वारा राशि स्वीकृत प्राथमिकता के आधार पर 08 माह में उक्त निर्माण कार्य पूर्ण कर ली जायेगी ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । माननीय मंत्री जी से मैंने एक पहला वाला में क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आया है मेरा, जिसमें एक में मैंने पूछा है कि विद्यालय जर्जर है और छोटे–छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनको ढ़ाई–तीन किलोमीटर दूर कर दिया गया है, उसमें हमने बताया था कि स्थानीय कोई विकल्प बनाकर वहां पर किया जाय...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्रीमती ज्योति देवी : तो गलत जवाब मिला है महोदय । इसमें माननीय मंत्री जी ने भवन की बात कही कि एक वर्ष बाद बनेगा लेकिन उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, यह कहना चाहते हैं । मेरे एक और प्रश्न में यह जवाब था कि माननीय मंत्री महोदय तत्काल वहीं पर क्योंकि छोटे–छोटे...

अध्यक्ष : आप अपना पूरक पूछ लीजिए, सुझाव दे दीजिए ।

श्रीमती ज्योति देवी : बच्चे हैं, उसको पढ़ना है । दूसरा, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है प्रश्न सं0–2 का कि इन्होंने कहा है कि विद्यालय के लिए हमने लेटर भी लिखा है। मैंने जब क्वेश्चन किया तो 13.02.2026 को ये जवाब देते हैं कि हमने प्रक्रिया शुरू किया । महोदय, इसमें मैं कहना चाहती हूं कि 4 साल, 5 साल पहले विद्यालय का शिलान्यास हो गया, उसका गड्ढ़ा भी खोदा गया, सबकुछ हो गया लेकिन जब यहां दबाव हम दिए तो मंत्री महोदय आज कहते हैं कि हम चिट्ठी लिखे हैं 13.02.2026 को, तो महोदय, शिक्षा इतना जीवन के लिए महत्वपूर्ण है...

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्रीमती ज्योति देवी : और इतना जवाबदेह पदाधिकारी होंगे, इतना लंबा समय में उनको बिल्डिंग मिलेगा, महोदय, जब जांच में जाती हूं तो एक–एक रूम में कई एक वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं...

अध्यक्ष : बैठ जाइए, विषय आ गया है आपका ज्योति जी ।

श्रीमती ज्योति देवी : इसे तत्काल बनवाने की मैं महोदय से मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर सुन लीजिए । बैठ जाइए । माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का यह कहना कि उसमें विलंब हुआ है, सही है । इसीलिए हमने उसमें शब्द लिखा कि प्राथमिकता सूची में इसको रखा है ताकि इसको हमलोग अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कर लेंगे ।

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया । माननीय मंत्री महोदय को मैंने कहा कि जो छोटे–छोटे बच्चे हैं, जो ढ़ाई–तीन किलोमीटर पढ़ने जायेंगे, उसके लिए तत्काल वहीं पर स्थानीय विद्यालय का कोई विकल्प करेंगे ? वहीं पर कहीं पर दूसरा भवन लेकर वे संचालित करवायेंगे क्योंकि एक साल के बाद इन्होंने कहा बिल्डिंग बनायेंगे...

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्रीमती ज्योति देवी : तो एक साल बच्चे कहां जायेंगे, जो छोटे–छोटे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री व्यवस्था करेंगे, अगल–बगल विद्यालय कहीं होगा न, वहां शिफ्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है ?

श्रीमती ज्योति देवी : जी, तत्काल कराने की व्यवस्था करें ।

अध्यक्ष : करवा दीजिए ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1982, श्री अमित कुमार (क्षेत्र सं0–30, बेलसंड)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अभिभाषण एवं सात निश्चय–3 के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखंड, जहां पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं है, उन प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । राज्य सरकार की उक्त योजना से सीतामढ़ी जिले का परसौनी प्रखंड आच्छादित हो रहा है ।

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखण्ड में पूर्व से जे0एस0 कॉलेज, चंदौल, सीतामढ़ी एक अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित है।

शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखण्ड में पूर्व से नरोत्तम मिश्रा मेमोरियल कॉलेज एक संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के रूप में संचालित है ।

वर्णित स्थिति में सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखण्ड एवं शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखण्ड में कोई भी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री अमित कुमार : धन्यवाद महोदय । मैंने अपने विधान सभा में 3 प्रखण्डों में डिग्री कॉलेज के लिए पूछा था । एक प्रखण्ड में परसौनी में काम के लिए डिग्री कॉलेज के लिए मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उसपर हमलोग आगे बढ़ रहे हैं, उस पर विचार हो रहा है, उस पर बनेगा । हमारा पूरक दो है कि हमारे यहां दो प्रखंड और बचे हैं एक तरियानी, तरियानी में नरोत्तम मिश्रा मेमोरियल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज की फीस के मानक में हमारे तरियानी प्रखण्ड के गरीब बच्चों का फीस भरने में संभव नहीं हैं तो गरीब बच्चे हमारे कहां जायेंगे ? दूसरा, इस प्राइवेट कॉलेज में भी सिर्फ ऑर्ट्स की पढ़ाई होती है, साईंस और कॉमर्स की पढ़ाई यहां नहीं होती है, यहां प्लेग्राउंड भी नहीं है और यह कॉलेज रोड पर है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी नहीं है । महोदय, हमारे यहां तरियानी प्रखंड में ही युगल किशोर सिंह इंटर कॉलेज है, जिसके पास भूमिदाता ने 8 एकड़ जमीन इसमें महाविद्यालय के नाम पर दे रखी है, तो यहां जमीन की भी उपलब्धता है । हमलोग चाहेंगे तो यहां डिग्री कॉलेज बना सकते हैं...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री । माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए ।

श्री अमित कुमार : महोदय, एक और है, बेलसंड प्रखण्ड में 65 साल पुराना जे0एस0 कॉलेज है, लेकिन यहां के भवन की जो स्थिति है, काफी जर्जर है, वहां कमरे का भी अभाव है, लैब का भी अभाव है और यहां भी सब विषयों की पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षा के अभाव में । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने जब इसकी समीक्षा की और जो जिला पदाधिकारी से हमलोगों ने रिपोर्ट मांगी तो उसमें सबसे पहले हमलोगों ने यह कहा था कि जहां पर बिल्कुल शून्य है, चाहे प्राइवेट या सरकारी, बिल्कुल नहीं हो, तो जहां पर बिल्कुल है ही नहीं, इसीलिए हमलोगों ने उसको प्राथमिकता दी है । हमलोगों का बिल्कुल कतई यह विचार नहीं है कि आने वाले समय में अगर कहीं पर प्राइवेट भी और स्थिति ठीक नहीं है तो उसको हमलोग नहीं टेकअप करेंगे लेकिन जहां बिल्कुल है ही नहीं कुछ, वहां पर हमलोगों ने प्रथम उसको वरीयता में रखा है । जहां तक माननीय सदस्य ने अपने सुझाव को दिया है, उसको हम ग्रहण करते हैं और जमीन होगा तो आगे हमलोग उसपर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : श्री राधाचरण साह ।

तारांकित प्रश्न सं0–1983, श्री राधाचरण साह (क्षेत्र सं0–192, संदेश)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिला के संदेश प्रखण्ड अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय, डिहरा में कुल नामांकन 206 एवं कार्यरत शिक्षक 10 तथा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मध्य विद्यालय डिहरा के 4 वर्ग कक्ष में विद्यालय का संचालन किया गया है । भूमि प्राप्त होने के उपरांत सभी आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक–877, दिनांक–30.04.2025 एवं पत्रांक–345, दिनांक–09.02.2026 के माध्यम से निदेशक (मा0शि0) शिक्षा विभाग, पटना एवं महाप्रबंधक, BSEIDC, पटना से अनुरोध किया गया है । कार्य आवंटन के उपरान्त लगभग 8 माह में निर्माण कार्य करा लिया जायेगा ।

श्री राधाचरण साह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिल गया है । महोदय, मैं संतुष्ट हूं ।

अध्यक्ष : श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, उत्तर मुद्रित है । श्री प्रमोद कुमार सिन्हा ।

तारांकित प्रश्न सं0–1984, श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र सं0–10, रक्सौल)

(मुद्रित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1–आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार, पटना के अधीन पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मोतिहारी अंचल में राजकीय पोलिटेक्निक, मोतिहारी संचालित है ।

राजकीय पोलिटेक्निक, मोतिहारी की प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता 360 है। इस संस्थान में जिले के अन्य प्रखंडों के छात्र–छात्राएं भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन ले सकते हैं।

वर्तमान में पूर्वी चम्पारण अंतर्गत रक्सौल अनुमंडल में नये राजकीय पोलिटेक्निक स्थापित करने का प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

2– अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि ''सात निश्चय–2'' के तहत 'युवा शक्ति–बिहार की प्रगति' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्सौल अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना करने का सरकार के समक्ष कोई योजना नहीं थी।

3– कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है लेकिन उत्तर संतोषप्रद नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक है, आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि रक्सौल एक घनी आबादी वाला, अंतर्राष्ट्रीय सीमांचल और व्यापारिक केंद्र है । क्या सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के मेधावी छात्रों को

स्थानीय स्तर पर ही तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु रक्सौल अनुमंडल में एक नए पोलिटेक्निक संस्थान की स्थापना पर भविष्य में विचार करेगी ? दूसरा है, क्या सरकार राजकीय पोलिटेक्निक मोतिहारी के एक विस्तार केंद्र पर विचार करेगी ताकि सात निश्चय–2 के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगारपरक, पाठ्यक्रमों में से रक्सौल बॉर्डर पर होने वाले बड़े कारोबार में सीधे रोजगार मिल सके ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो पूरे राज्य में पोलिटेक्निक की संख्या बिल्कुल नगन्य थी, आज के दिनों में 36–38 है तो उसको हमलोग सही तरीके से संचालित कर रहे हैं । माननीय सदस्य और कई अन्य माननीय सदस्यों का हमें पत्र प्राप्त हुआ है, उसकी हमलोग समीक्षा कर लेंगे और राशि की उपलब्धता पर, क्योंकि आप इस तरह के संस्थान को अगर खड़ा करते हैं, निर्माण करते हैं तो उसमें हर तरह की व्यवस्था भी चाहिए तो निश्चित रूप से हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और राशि की उपलब्धता पर उसका हमलोग आकलन करके अग्रेतर कार्रवाई करेंगे । धन्यवाद ।

टर्न–7 / अभिनीत / 24.02.2026

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जायं । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 24 फरवरी, 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री रणविजय साहू, स0वि0स0, श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0, श्रीमती सावित्री देवी, स0वि0स0, श्री अभिषेक रंजन, स0वि0स0, श्री अमरेन्द्र कुमार, स0वि0स0, श्री अखतरूल ईमान, स0वि0स0, श्री मो0 मुर्शिद आलम, स0वि0स0, श्री मो0 सरवर आलम, स0वि0स0, श्री गुलाम सरवर, स0वि0स0 ।

आज दिनांक 24 फरवरी, 2026 को सदन में राजकीय विधेयक निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

श्री रणविजय साहू : महोदय...

श्री अखतरूल ईमानः महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक–एक करके पढ़ लीजिए ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार आज श्रमिक निर्यातक राज्य बनकर रह गया है । राज्य की मेधा और श्रम दोनों का लाभ दूसरे प्रदेशों को मिल रहा है, जबकि बिहार का औद्योगिक विकास शून्य है । पलायन अब केवल

गरीबी का नहीं बल्कि राज्य सरकार की आर्थिक विफलताओं का प्रमाण बन चुका है । वर्ष 2011 की जनगणना और हालिया अनुमानों के अनुसार बिहार से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोग स्थायी या मौसमी रूप से बाहर हैं । यह राज्य की कुल आबादी का लगभग 12 से 15 प्रतिशत हिस्सा है । आज बिहार की प्रतिव्यक्ति आय देशभर में सबसे कम है । नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार बिहार की लगभग 33.7 प्रतिशत आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है जो पलायन का मुख्य कारण है । श्रम बल सर्वेक्षण 2023–24 के अनुसार बिहार में स्नातक युवाओं में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है । राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति हजार व्यक्तियों पर लगभग 250–300 व्यक्ति आजीविका के लिए बाहर जाते हैं । बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र का योगदान मात्र 8 से 10 प्रतिशत के आस–पास सिमटा हुआ है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन ठप है । बिहार की 76 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन जोत का छोटा आकार (0.3 हेक्टर औसत) और हर साल 15 से 20 जिलों में आने वाली बाढ़ के कारण सालाना 20 से 25 लाख खेतिहर मजदूर दूसरे राज्यों की ओर कूच कर जाते हैं । राज्य का युवा वर्ग दूसरे राज्यों में अपमानजनक स्थितियों में काम करने को मजबूर हैं ।

अतः दिनांक– 24.02.2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर पलायन के मुद्दे जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो ।

महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है, पलायन जारी है बिहार से..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अख्तरूल ईमान जी, पढ़िए । आपको पढ़ने की अनुमति दिए, कोई डिबेट नहीं होगा । बैठिए ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं अत्यंत लोक महत्व के विषय पर कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश करता हूं ।

सीमांचल अत्यंत बाढ़ प्रभावित एवं कटाव क्षेत्र है । विस्थापित परिवारों को हर साल मिट्टी के घर–आंगन के निर्माण में मिट्टी की जरूरत होती है । जहां कोई अपने निजी जमीन से तो कोई अपने पड़ोसी की जमीन से, तो वहीं भूमिहीन लोग किसानों से बिना मुआवजे के दो–चार टेलर मिट्टी कटवाते हैं जिस पर खनन विभाग के लोग अवैध खनन का आरोप लगाकार परेशान करते हैं, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल है और खनन विभाग के कर्मियों द्वारा लोगों से लाख–डेढ़ लाख की अवैध वसूली भी की जाती है।

अतः जनहित के इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं कार्यस्थगन की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, रबड़ी की तरह पैसे बांटे जा रहे हैं । सरकार..

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार ।

शून्यकाल

श्री राहुल कुमार : महोदय, बिहार राज्य के विभिन्न जिलों से सूचना है कि जीएसटी पदाधिकारियों द्वारा व्यापारियों पर जबरन अग्रिम जीएसटी भुगतान हेतु दबाव बनाया जा रहा है जो नियमों के अनुकूल नहीं है । भुगतान न करने पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है ।

सरकार तत्काल रोक लगाकर जांच कराये ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : महोदय, गोपालगंज जिलांतर्गत बरौली प्रखंड के रूपनछाप शिव मंदिर के बगल में 1991 ई0 में निर्मित पुल नदी के कटाव में विलीन होने से आवागमन में लोगों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिये रूपनछाप में उसी स्थल पर नये पुल के निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्धि प्रखंड स्थित उत्क्रमित राजकीय उच्च विद्यालय, हसुआहां में चहारदीवारी एवं वर्ग कक्ष के अभाव में पठन–पाठन बाधित है । चहारदीवारी नहीं होने से विद्यालय आवारा पशुओं का चारागाह बनकर रह गया है ।

उक्त विद्यालय में चहारदीवारी एवं वर्ग कक्ष निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री शंकर प्रसाद : महोदय, मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत पारू विधान सभा की गंडक नदी के तिरूहत तटबंध पर कटाव एवं बाढ़ का गंभीर खतरा है । सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन जानलेवा बना हुआ है ।

अतः जनहित में यहां अविलंब बोल्डर, पिचिंग एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती बिनिता मेहता : महोदय, गृह विभाग विशेष शाखा द्वारा जे0पी0 सम्मान योजना के तहत विभागीय सं0–524, दिनांक– 15.07.2015 के अंतर्गत कुल प्राप्त आवेदन 729 पर जिला प्रशासनिक समिति, नवादा की अनुशंसा, सरकार को अबतक जांच कर नहीं भेजी गयी है, जिससे सभी जे0पी0 सेनानी सरकार द्वारा प्राप्त सुविधाओं से वंचित हैं ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, बेगूसराय जिलांतर्गत वीरपुर प्रखंड के वीरपुर बाजार से जगदर होते हुए पकठौल तक जाने वाली लगभग 8 किलोमीटर लंबी सड़क अत्यंत जर्जर अवस्था में है ।

अतः जनहित में उक्त सड़क का निर्माण यथाशीघ्र कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती निशा सिंह : महोदय, प्राणपुर विधान सभा अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मदनशाही बिसारे रजपूतिया भेपतकुंडी पुल एवं कई सड़कों का कार्य विभागीय एवं संवेदक की लापरवाही से अत्यंत धीमा चल रहा है ।

अतः दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी पुलों एवं सड़कों के शीघ्र निर्माण की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री दामोदर रावत : महोदय, वर्ष 2024 में रामसर स्थल घोषित झाझा स्थित नागी–नकटी पक्षी अभयारण्य स्थल पर 2021 में राज्य का पहला पक्षी महोत्सव आयोजन के उपरांत देशी–विदेशी पक्षियों को देखने आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन को देखते हुए अभयारण्य स्थल पर एक पुलिस चौकी स्थापित करने की सरकार से मांग करता हूं ।

प्रो0 नागेन्द्र राउत : महोदय, सीतामढ़ी जिलांतर्गत पुपरी प्रखंड के गंगापट्टी ग्राम में नव सृजित प्राथमिक विद्यालय के पास जमीन रहने के बावजूद आजतक विद्यालय भवनहीन है ।

अतः उक्त विद्यालय में भवन निर्माण हेतु सदन के माध्यम से मांग करता हूं ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, राज्य के करोड़ों हिन्दू तीर्थयात्रियों के ठहरने, पंजीकरण, चिकित्सा इत्यादि आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु राजधानी पटना में कोई समुचित केंद्रीकृत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ।

अतः बिहार सरकार तीर्थयात्रियों की पर्यटकीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना में हज भवन की तर्ज पर तीर्थ भवन का निर्माण शीघ्र करावे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत कोटवा एन0एच0 में ओवरब्रिज के अंडरपास पर अत्यधिक वाहनों की आवाजाही से लगातार जाम की समस्या से आमलोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है । उक्त स्थान पर स्थायी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कराकर आवागमन को सुचारू करने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, पूर्वी चंपारण जिला का मेहसी प्रखंड लीची उत्पादन में अग्रणी है, लेकिन लीची के मंजर में स्टिंग बग कीट लगने से लीची की फसल खराब हो रही है ।

अतः मेहसी सहित पूर्वी चंपारण में स्टिंग बग पर नियंत्रण हेतु कीटनाशक छिड़काव कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री जनक सिंह : महोदय, सारण जिला के अंचल तरैया एवं इसुआपुर की सीमा पर अवस्थित डबरा नदी पर ग्राम छपिया (फेनहरा गद्दी), महुली तथा टेढ़ा में एच0एल0 ब्रिज का निर्माण नहीं होने से सैकड़ों वर्षों से ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ।

अतः उक्त स्थानों पर एच0एल0 ब्रिज का निर्माण करावे ।

टर्न–8 / यानपति / 24.02.2026

श्री पप्पु कुमार वर्मा : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में सरकार द्वारा शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है । इसलिए बिहार राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक प्रखंड में एक उच्चस्तरीय शैक्षणिक लाइब्रेरी निर्माण की मांग करता हूं ताकि बच्चों को प्रखंडस्तरीय अच्छी शिक्षा का लाभ मिल सके ।

श्रीमती श्वेता गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शिवहर के पुरनहिया प्रखंड की अभिराजपुर बैरिया पंचायत के वार्ड–13 स्थित बरहरवा टोला के लगभग 50 परिवारों तक आज तक सड़क नहीं है । बरसात में आवागमन बाधित रहता है जिससे शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं । सरकार से शीघ्र सड़क निर्माण की मांग करती हूं ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला के हसपुरा प्रखंड अंतर्गत बरेली बिगहा मोड़ से पुराना थाना रोड होते हुए मुख्य बाजार तक जानेवाली सड़क के जर्जर होने के कारण जनता को आवगमन में काफी कठिनाई होती है । जनहित में इस सड़क का निर्माण कराने की मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री बिरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की प्रायः थानों में पुलिस द्वारा जब्त की गई गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है । बिहार विधान सभा के ठीक सामने स्थित सचिवालय थाना का भी यही दृश्य है । अतः जब्त गाड़ियों को तत्काल हटवाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत शिवसागर प्रखंड के ग्राम सोनहर में स्थित लघु डैम के क्षतिग्रस्त होने से सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित हो गई है, जिससे किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

उक्त लघु डैम का अविलंब पुनर्निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलांतर्गत बिहपुर प्रखंड के हरिओ पंचायत अंतर्गत कहारपुर गांव के ग्रामीण विगत पांच वर्षों से कोशी नदी के कटाव से विस्थापित होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं ।

अतः सरकार से कहारपुर गांव को बचाने के लिए कटाव निरोधी कार्य एवं विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की मांग करता हूं ।

श्री विमल राजवंशी : अध्यक्ष महोदय, क्या बिहार सरकार एतवा रजवाड़, जवाहिर रजवाड़ एवं कारू रजवाड़ जैसे स्वतंत्रता सेनानी जननायकों के सम्मान में भारत सरकार को स्मारक पोस्टल कार्ड जारी करने की सशक्त अनुशंसा शीघ्र करेगी ? यदि नहीं तो राज्य सरकार इस गौरवपूर्ण पहल में विलंब क्यों कर रही है ?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत प्रखंड भीतहाँ के नौगहवा पुल के सामने आधुनिक शवदाह गृह या मोक्ष धाम (श्मशान घाट) के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पटना विश्वविद्यालय के पटना साइंस कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर शोभन चक्रवर्ती पर असामाजिक तत्वों द्वारा दिनांक–21 फरवरी, 2026 को जानलेवा हमला किया गया । मैं उक्त हमले की उच्चस्तरीय जांच कराते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुभाष सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, धानुक जाति देश के 13 राज्यों में अनुसूचित जाति एवं 6 राज्यों में अनुसूचित जनजाति में शामिल है । 29.12.1986 को कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में धानुक जाति को एस0टी0 में शामिल करने को कहे थे । अतः बिहार में धानुक जाति को एस0टी0 में शामिल करवाने की मांग करती हूं ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज विधान सभा में एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होने के कारण छात्र–छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः उक्त विधान सभा के पहाड़पुर प्रखंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की मांग करता हूं ।

श्री भरत बिंद : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलांतर्गत रामपुर प्रखंड के ग्राम वर्ली में पक्की सड़क एवं नाली के अभाव में सड़क पर जल जमाव होने से कई गांवों के लोगों को आवागमन में परेशानी होती है । अतः उक्त गांव में पक्की सड़क एवं नाली निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्रों में स्थित गौशाला के संवर्धन से गौवंश की रक्षा, दुग्ध उत्पादन, जैविक खाद एवं पर्यावरण संरक्षण के सामाजिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए स्थानीय नगर निकाय द्वारा लिए जाने वाले होल्डिंग टैक्स से पूर्णतः मुक्त कर गौवंश के संरक्षण की मांग करता हूं ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत घोंघेपुर में पश्चिमी कोशी तटबंध के नीचे स्थित मुख्य सड़क पर आवगमन की भारी असुविधा है । उस बांध के समीप पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त है । अतः सरकार से नया पुल और सड़क के निर्माण की मांग करता हूं ।

डॉ0 सियाराम सिंह : अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के अथमलगोला अंचल अंतर्गत रामनगर दियारा पंचायत के तौजी नंबर–8092/8705 तथा थाना संख्या–314 का भूमि असर्वेक्षित रहने के कारण जनवरी 2015 से राजस्व रशीद कटना बंद हो गया है । अतः वर्णित जमीन का सर्वे कराकर राजस्व रशीद काटने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री रितुराज कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलांतर्गत हुलासंगज प्रखंड के जारू टोला बांबरिया स्थित बूढ़ा महादेव स्थान, साहोबिघा फल्गु तट सूर्य मंदिर तथा सलेमपुर सूर्य मंदिर की चहारदीवारी नहीं बनी है । अतः सरकार से बूढ़ा महादेव स्थान, साहोबिघा फल्गु तट सूर्य मंदिर की चहारदीवारी के निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री रंजन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर नगर निगम में ब्लैकलिस्टेड कंपनी द्वारा मानवबल आपूर्ति का गंभीर मामला है । इस संबंध में 31 जनवरी को बोर्ड की बैठक में मैंने नगर आयुक्त को मामले की गंभीरता से अवगत कराते हुए आपत्ति जताया परंतु अभीतक एजेंसी कार्यरत है क्यों, सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूं ?

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ीदयाल प्रखंड स्थित मिडिल स्कूल को छात्र–छात्राओं की बढ़ती संख्या एवं शैक्षणिक सुविधाओं के अभाव को देखते हुए उच्च विद्यालय में उन्नयन करने की सरकार से मांग करता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जायेंगे और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है कि मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 26 या 27 व्यक्ति हैं और मात्र सात ही मंत्री यहां उपस्थित हैं, यह बहुत ही, यह सदन की अवमानना है सर ।

अध्यक्ष : कोई अवमानना नहीं है, बैठिए । अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका सूचना पढ़ें ।

(क्रमशः)

टर्न–9 / मुकुल / 24.02.2026

क्रमशः

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार खेमका जी ने श्री कुमार शैलेन्द्र जी को प्राधिकृत किया है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, एक बार ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ा दिया जाए, उन्होंने फोन पर बताया है कि उसको पढ़वा दिया जाए ।

अध्यक्ष : ठीक है । शैलेन्द्र जी पढ़ रहे हैं ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, एक ही नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में और वह पूरे सदन से गायब हैं, इसको भी संज्ञान में लिया जाए ।

अध्यक्ष : कुमार शैलेन्द्र जी, सूचना को पढ़िए । शांति–शांति ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में अब तक गौवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु कोई गौवंश संरक्षण केन्द्र स्थापित नहीं है । गौवंश संरक्षण केन्द्र पर गाय एवं अन्य गौवंश का संरक्षण, पालन–पोषण, उपचार किया जाता है । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में गौ संरक्षण केन्द्र के लिए वहां सरकारी व्यवस्था की गयी है । राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित एवं घुमंतू गौवंश के कारण सड़क दुर्घटनाओं, फसल की क्षति एवं जनसुरक्षा की भी गंभीर समस्या बराबर बनी रहती है ।

अतः मैं पूर्णियां सहित राज्य भर में गौवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु एक ही परिसर में परित्यक्त एवं बीमार गौवंश की देखभाल, देशी नस्ल के संरक्षण, चिकित्सा एवं टीकाकरण, दुग्ध उत्पादन, गोबर व गौमूत्र आधारित जैविक उत्पादन के लिए गौवंश संरक्षण केन्द्र की स्थापना की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में अब तक गौवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु कोई गौवंश संरक्षण केन्द्र स्थापित नहीं है । परंतु बिहार राज्य में 87 निबंधित गौशालाएं हैं, जिनमें वर्तमान में 57 गौशालाएं क्रियाशील हैं इन गौशालाओं में मॉडल गौशाला के रूप में विकसित करने हेतु 20 लाख रुपये अनुदान दिया जाता है । अनुदान की राशि से गौशालाओं के आधुनिकीकरण, देशी गौवंश का क्रय, संवर्द्धन, संरक्षण, आधारभूत संरचना का विकास, गोबर गैस प्लांट की स्थापना, वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन एवं चारा का उत्पादन इत्यादि कार्य किया जाता है । साथ ही, उक्त गौशालाओं में पशु तस्करी, पशु क्रुरता निवारण के क्रम में पकड़े गये पशुओं के रख–रखाव एवं आहार इत्यादि की व्यवस्था की जाती है । गौशालाओं में अवस्थित पशुओं की चिकित्सा स्थानीय पशु चिकित्सालय के द्वारा किया जाता है । जिला पशु क्रुरता निवारण सासोयटी सभी जिला में गठित है, जिसके कार्यकारिणी समिति में जो सदस्य होते हैं, जिसके जिला पदाधिकारी (अध्यक्ष), आरक्षी अधीक्षक (उपाध्यक्ष), जिला पशुपालन पदाधिकारी (सदस्य सचिव), जिला की पशु कल्याण संस्थाओं के प्रतिनिधि के दो सदस्य, आम चुनाव के द्वारा चुने हुए चार सदस्य उसमें होते हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने पदाधिकारी द्वारा दिया गया जो उत्तर था उसको पढ़ दिये, लेकिन मेरा मानना है महोदय मैं तो अपने भागलपुर, पूर्णिया, बिहपुर सहित अन्य शहरों में अभी भी जैसे छत्तीसगढ़

महोदय हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में वहां पर गौ संरक्षण केन्द्र बनाया गया है महोदय, गौशाला तो अलग है, चूंकि बहुत से पशु ऐसे हैं जो बूढ़े होने के बाद वे घूमने लगते हैं और उसका नतीजा होता है कि कुछ लोग उसको ले जाकर काटते हैं और अवैध रूप से उसका इधर–उधर भी करते हैं जो सब लोग जानते भी हैं । महोदय, मेरा स्पष्ट मानना है कि क्या पूर्णिया सहित अन्य शहरों में गौवंश संरक्षण केन्द्र बनाकर उनका संरक्षण करना चाहती है, क्योंकि गौमाता एक ऐसी मां है कि हमलोग सभी हिन्दू धर्म को मानने वाले जानते हैं कि उनमें भगवान का वास होता है । मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं, चूंकि यह सभी माननीय सदस्य का मामला है, पूरे राज्य का मामला है महोदय, तारकिशोर जी अभी जीरो आवर में इसी बात का जिक्र किये हैं महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री । संदीप जी, क्या आप अव्यवस्था फैलाते हैं बैठे–बैठे । बैठे–बैठे मत बोलिए, हम आपको मौका देते ही हैं उसमें बोला कीजिए ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है उस पर सरकार अगले वित्तीय वर्ष में इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप दोबारा से पढ़ दीजिए ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : सर, अगले वित्तीय वर्ष में इस पर चिंता की जायेगी ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है, मेरा जिला भागलपुर है और वहां पर बिहपुर में मिल्की मिर्जाफरी में खुलेआम काटा जाता है महोदय, क्या मंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे ?

अध्यक्ष : जो बिना लाइसेंस के, बिना सरकार की अनुमति के....

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : इसकी जांच कर ली जायेगी ।

अध्यक्ष : जहां पर ऐसे अवैध शेल्टर हाउस हैं, क्या उनको सरकार बंद करायेगी ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : महोदय, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके जांच करा लिया जायेगा ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : नहीं–नहीं, गंभीरतापूर्वक विचार क्या करना है । महोदय, मंत्री जी आप आदेश दें, आप सरकार में हैं ।

अध्यक्ष : एक समय सीमा के अंदर में, माननीय मंत्री ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : ये गंभीरतापूर्वक विचार क्या करेंगे महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि इसकी समीक्षा करके एक समय सीमा में इसको करवाइये ।

(व्यवधान)

हमने आसन से आप सभी के भावनाओं को देखते हुए आदेश दिया है कि माननीय मंत्री....

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री समीक्षा करके समय सीमा के अंदर में राज्य के अंदर कहीं भी अवैध तरीके से शेल्टर हाउस चलाये जा रहे हैं उन्हें बंद करवायें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : जी महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री महेश्वर हजारी । पूरे बिहार की बात आ गयी, उसमें भागलपुर भी शामिल है, पूर्णिया शामिल है ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्देश दिया वह ठीक है । लेकिन ध्यानाकर्षण के माध्यम से प्रश्न है कि आप गौ संरक्षण के लिए, मेरा सवाल है कि बिहार में सरकार ने कहां–कहां जो आम पशु भटक रहे हैं, उनको रखने के लिए, संरक्षण के लिए सरकार ने कौन सी व्यवस्था की है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कितने गौशाला पूरे राज्य में हैं ?

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : महोदय, यह कहा गया है कि इतनी गौशालाएं हैं, धुमंतू पशु और परित्यक्त पशु जो पकड़े जाते हैं, सभी गौशालाओं में उनकी व्यवस्था की जाती है।

अध्यक्ष : राज्य में जो गौशाला हैं, अभी वर्तमान में 86 हैं जो जानकारी है, वहां पर रखे जाते हैं ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, बीफ के जितने भी एक्सपोर्टर हैं, उनपर पाबंदी लगाया जाए ।

सर्वश्री महेश्वर हजारी, सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य आठ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : श्री महेश्वर हजारी जी । आपकी सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री ।

(व्यवधान)

शांति बनाए रखें ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण को उद्योग विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है, उद्योग विभाग को स्थानांतरित है यह ।

अध्यक्ष : संजय जी, इसको कहां स्थानांतरित किया गया है ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : उद्योग विभाग को महोदय ।

श्री महेश्वर हजारी : अध्यक्ष महोदय, कल जो बात हुई थी, उद्योग मंत्री जी कहें कि हम ट्रांसफर कर दिये श्रम संसाधन विभाग को और श्रम संसाधन विभाग कह रहा है उद्योग विभाग को ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसको दिखवा लेते हैं, बैठ जाइये । महेश्वर हजारी जी, बैठ जाइये, इसको दिखवा कर के निश्चित तौर पर जवाब होगा चलते सत्र में । श्री नीतीश मिश्रा अपनी सूचना पढ़ें ।

सर्वश्री नीतीश मिश्रा, श्री मंजीत कुमार सिंह एवं श्री प्रमोद कुमार से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण संरक्षण एवं बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु ईको–पर्यटन स्थल क्षेत्र का विकास एवं पार्कों के निर्माण के साथ जन सुविधा की योजना पर कार्य कर रहा है, जिनमें महर्षि विश्वामित्र पार्क बक्सर, गुप्ताधाम एवं तुतला भवानी, रोहतास, थावे माई, गोपालगंज, मुंडेश्वरी मंदिर एवं करमचट डैम इको टूरिज्म, कैमूर आदि उन्नयन शामिल हैं । वन प्रमंडल, गयाजी में इको टूरिज्म विशेष रूप से मां ढूंगेश्वरी, बराबर गुफा और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य में इको कैम्प आकर्षण का केन्द्र है एवं सिंलौज पार्क, कंडी वीथो जैव विविधता पार्क (150 एकड़ उपलब्ध भूमि पर चिड़ियाघर निर्माण) प्रस्तावित है । गयाजी में हवाई अड्डा के निकट सड़क के दोनों तरफ विष्णुपद मंदिर एवं बोधगया मंदिर के तरफ सड़क पर वृक्षारोपण एवं सौन्दर्यीकरण, पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान के बाद रानीगंज (अररिया) में प्रस्तावित है । पटना, गयाजी, बोधगया एवं नवादा सहित राज्य के अन्य वन प्रमंडलों द्वारा पार्क का निर्माण किया गया है ।

अतः प्रस्तावित योजनाओं को ससमय पूर्ण कराने, दूसरे जैविक उद्यान निर्माण की प्रगति एवं निर्मित पार्कों का समुचित रख–रखाव एवं संचालन हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

टर्न–10 / सुरज / 24.02.2026

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कल शाम में ही विभाग को क्वेश्चन मिला है । मुझे समय चाहिये इसके लिये, क्योंकि हर प्रमंडल से जवाब मंगवाना पड़ेगा ।

अध्यक्ष : मंगवा लीजिये, समय दिया जायेगा । आज 24 तारीख है, 26 तारीख को इसको करवा दीजिये ।

सर्वश्री मिथिलेश तिवारी, भरत बिन्द एवं अन्य सात सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी, अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार का लक्ष्य समावेशिता, पारदर्शिता और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देकर जमीनी स्तर के आर्थिक ढ़ांचे को मजबूत करने हेतु विभिनन प्रकार के फेडरेशन एवं समितियों की स्थापना की गयी है, जैसे Vegetable federation, Marketing

federation, मधुमक्खी पालन सहकारी समिति, बुनकर सहकारी समिति आदि । इन फेडरेशन एवं समिति में से अधिकांश की प्रगति काफी धीमी है तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी पीछे है । सारण, दरभंगा, सहरसा एवं मधेपुरा सहित अन्य जिलों में बैंकों की स्थापना नहीं की गई है, जिससे किसानों को असुविधा है । खा़द्यान भंडारण योजना के तहत किसानों को गोदाम बनाने, सब्सिडी के तहत कम ब्याज पर ऋण एवं प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, जिसकी गति धीमी होने के कारण किसान लाभान्वित नहीं हो रहे हैं । गयाजी जिलान्तर्गत चंदौती प्रखंड के कृषि उत्पादन बाजार के प्रागंण में बिहार राज्य खाद्य भंडार निगम द्वारा स्वीकृत योजना प्रारंभ नहीं की गयी है ।

अतः विभाग द्वारा स्थापित किए गये फेडरेशन एवं समिति, सहकारी बैंक की स्थापना तथा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा भंडारण बनाने और राज्य के किसानों को लाभ देने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सहकारिता विभाग, बिहार सरकार, सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने एवं आधुनिक बनाने के लिये पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है । सरकार द्वारा पैक्स को बहुदेशीय बनाने के लिये कई कार्य किये गये हैं । पैक्स केवल अनाज खरीद तक सीमित नहीं है बल्कि इन्हें जन औषधि केन्द्र, खाद्य वितरण केन्द्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान, बीज वितरण, किसान समृद्धि केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर इत्यादि के रूप में भी विकसित किया जा रहा है जहां से किसानों को बीज, खाद्य के साथ–साथ अन्य ई–गवर्नेंस सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, इनका कहना है गयाजी में चंदौती में पांच–पांच हजार का दो मीट्रिक टन का गोदाम स्वीकृती के फलस्वरूप बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी है जिसका 27.02.2026 को निविदा खुलने का समय है और जहां तक राज्य में पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में 7286 गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है और उसी तरह से 2025–26 में 271 गोदाम निर्माणाधीन है । कोशी प्रमंडल को छोड़कर शेष आठ प्रमंडलों में पटना, मगध, तिरहुत, सारण, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर एवं मुंगेर में विपणन सहकारी संघ का गठन किया जा चुका है । उसी तरह से राज्य के चार माह में प्रखंड स्तरीय मधुमक्खी पालन सहकारी समिति की संख्या 144 से बढ़कर 224 हो गया है और आपकी जानकारी के लिये अभी तीन दिन पहले ही मखाना करीब पांच टन यहां से चीन भेजा गया है, यहां से बाई–रोड कलकत्ता, कलकत्ता से चीन और उसके पहले तीन टन दुबई भेजा गया है । उसी तरह से कल हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड, वैशाली में वहां दस टन टमाटर भेजा

गया है । इस तरह से सब काम चल रहा है । यदि माननीय सदस्य का कुछ और सुझाव है तो हमें दें और हम उस काम को बढ़िया से, गति से करेंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी खुद अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अध्यक्ष महोदय हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी समावेशी विकास के तहत बिहार के गरीबों को रोजगार उनके गांव में ही देना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है वोकल फॉर लोकल । लोगों को बाहर न जाना पड़े और इसका एक मात्र साधन है कि सहकारिता को तीव्र गति से आगे बढ़ाना होगा और उसी के लिये हमारा यह ध्यानाकर्षण है । इसमें हम माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाने के लिये राज्यस्तरीय बायलॉज उपविधि बनाना था, बना क्या ? उसकी अद्यतन स्थिति क्या है ? कबतक बायलॉज बन जायेगा ? पहला तो बायलॉज ही नहीं है, उसको बनाना चाहिये । मधुमक्खी सहकारी समितियों से किसान लाभान्वित हुये हैं, उनकी संख्या क्या है ?

महोदय, बहुत सारे स्टार्टअप के लड़के मिलते हैं हमलोगों को । अब आजकल जो मधु है वह कई प्रकार के फ्लेवर में आ रहे हैं और स्टार्टअप के बच्चे उसका उत्पादन बिहार में कर रहे हैं लेकिन उनकी समस्या यह है कि उनको कहीं भी को–ऑपरेटिव का, जो उनका जुड़ाव होना चाहिये, वह मार्केटिंग कहां से करें, कैसे उसको बाजार तक पहुंचायें । इसका उनके पास कोई उपाय नहीं है । तीसरा, बुनकर सहकारी समिति के लिये उपलब्ध कराये गये चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि से कितने बुनकर लाभान्वित हुये एवं राशि कितना खर्च हुआ ? केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री खाद्यान्न भंडारण योजना, गोदाम निर्माण योजना की अद्यतन स्थिति क्या है ? योजना कब तक पूरा किया जायेगा ? एक बार माननीय मंत्री जी बतायें ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि गोदाम जो है, 7286 गोदाम का निर्माण हो चुका है, जिसमें 17.472 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता है । दूसरा, मैंने आपको कहा कि 2025–26 में 278 गोदाम निर्माणधीन है, जिसमें 2.49 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि अतिपिछड़ा समाज से हैं तो माननीय मंत्री जी को मैं कहता हूं कि यहां बकरी का भी को–ऑपरेटिव बना हुआ है....

(व्यवधान)

सॉरी, माननीय सदस्य ने कहा । क्षमा करेंगे क्योंकि इस...

अध्यक्ष : मंत्री बनने वाले होंगे इसलिये कह दिये ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : हो सकता है मेरे मुंह से निकल गया हो तो कहीं मंत्री बनकर इधर आ जाएं । यह कौन जान रहा है ? इस लोकतंत्र में कौन, कहां बैठेगा,

किसी को पता है ? तो इसलिये हो सकता है कि कल मंत्री भी बन जाए, लोकतंत्र...

अध्यक्ष : प्रमोद जी के मुंह से अच्छा शब्द निकल गया है ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि अतिपिछड़ा तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि बकरी का भी को–ऑपरेटिव बन चुका है और बिहार में कुछ ही, यह प्रखंडस्तरीय है । बिहार के कुछ ही प्रखंड में यह बचा है, उसको भी हमलोग पूरा कर लेंगे और जो इन्होंने कहा है, उसको हम दिखवाकर उसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे ।

अध्यक्ष : एक जानकारी हम चाह रहे हैं प्रमोद बाबू...

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : अच्छा आप पूछ लीजिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, हम तो मंत्री जी को जगाना चाहते हैं कि जो बिहार में अति पिछड़ों की बड़ी आबादी है उनको गांव में ही रोजगार मिल जाए । हमारा कहने का तात्पर्य यह है...

(व्यवधान)

महोदय, डर इस बात की है कि माननीय मंत्री जी जो बकरी बढ़ाना चाहते हैं वह भाई वीरेन्द्र जी उस बकरी का संरक्षण करेंगे या नहीं, विषय ये है । महोदय, हमने पूछा...

श्री भाई वीरेन्द्र : भाई वीरेन्द्र, गाय पालन करता है, बकरी नहीं

अध्यक्ष : भैंस पालन करते हैं कि नहीं ?

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, गाय पालते हैं ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, भाई वीरेन्द्र जी की बातों को तो एकदम डिलीट कर देना चाहिये, कुछ भी बोलते रहते हैं और संयोग से हमारे और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, हमलोग एक ही कमेटी में हैं ।

अध्यक्ष : इसलिये बोलते रहते हैं ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, माननीय मंत्री जी हमारे दोस्त भी हैं और बहुत नीचे से आये हैं। मेरा आग्रह है कि जो राज्यस्तरीय बायलॉज बनाना है मंत्री जी ने उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा । गोदाम बनाने के लिये जमीन पैक्स से लेने थे, उसमें क्या प्रगति है ? इस पर माननीय मंत्री जी बता नहीं रहे हैं । हम इतना ही तो पूछ रहे हैं कि उत्पादन होगा तो रखा कहां जायेगा, उसकी क्या तैयारी है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री प्रमोद बाबू मार्केटिंग फेडरेशन का बायलॉज बनाना था स्टेट लेवल पर, उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसकी क्या प्रगति है ?

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उसकी क्या स्थिति है हम दिखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : और दूसरा है बुनकरों के लिये । सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ की राशि का प्रावधान किया था, उससे कितने बुनकर लाभान्वित हुये हैं ?

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, बुनकर का भी हम सबलोगों के ध्यान में है लेकिन कितना लाभान्वित हुये हैं, वह इसमें नहीं है । एक चीज और बता रहे हैं जो माननीय भाई वीरेन्द्र जी ने कहा कि दूध तो केन्द्र सरकार की भी योजना है कि हमलोग अभी तक ब्लॉक स्तरीय दूध का हमलोग किये थे को–ऑपरेटिव, अब उसका हमलोग पंचायत स्तर तक करने जा रहे हैं और आज ही उसका एम0ओ0यू0 पर दस्तखत भी है आज शाम में । जो भी है हम दिखवा लेते हैं ।

टर्न–11 / धिरेन्द्र / 24.02.2026

अध्यक्ष : प्रमोद जी, एक है...

(व्यवधान)

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, बकरी पालक समिति होती है लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि बकरी समिति हम बना रहे हैं तो यह बकरी समिति क्या है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बकरी सहकारी समिति है । बोलने में मिस्टेक हो गयी ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, बकरी का भी को–ऑपरेटिव है, बकरी पालकों का ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनय कुमार चौधरी जी ।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रमोद बाबू, बैठ जाइये ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, बकरी पालकों का को–ऑपरेटिव है ।

अध्यक्ष : विनय जी, आप बोलिये । ईमान जी, शांति बनायें । मंत्री जी, बैठ जाइये ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, यह किसानों की समस्या को लेकर हमलोग आज ध्यानाकर्षण किए हैं । यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसान जितना मजबूत होगा उतना मजबूत हमलोग होंगे, यह तो एक प्रश्न था ही । साथ ही, हमारे दरभंगा जिला में भूमि विकास बैंक था, कभी जमाना में इन लोगों का जब शासन था तो उसको बंद करवा दिये थे तो मैं आपके माध्यम से सरकार का उस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि भूमि विकास बैंक से भी किसान काफी लाभान्वित होते थे तो उस ओर भी सरकार ध्यान दे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण था, सारण जिले के बैंकिंग समितियों को भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन नबार्ड को भेजा जा चुका है । जैसे ही होगा, वहां खुल जायेगा । दरभंगा में गठित बैंकिंग समिति का अनुज्ञप्ति आवेदन तैयार करने हेतु संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है । सहरसा एवं मधेपुरा जिले में बैंकिंग समिति का गठन प्रक्रियाधीन है तो जैसे–जैसे होगा, हमलोग सब करवा लेंगे । हमलोग इसमें लगे हुए हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री अन्न भण्डार योजना तो बिहार में माननीय अमित शाह जी आए थे, उनके हाथों शिलान्यास भी किया गया था । उसकी क्या स्थिति है?

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, उसकी स्थिति सब जगह बताया की, उसी के तहत आपके गया जी में बाजार समिति....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, वह अलग है, वह स्टेट प्लान से है । गया जी के चंदौती में राज्य सरकार के स्टेट प्लान से उसकी स्वीकृति हुई है, वह राज्य भण्डार निगम करेगी लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो हर राज्यों में प्रधानमंत्री भण्डार योजना है, उसके लिए माननीय अमित शाह जी आये थे इसी चालू वित्तीय वर्ष में, उन्होंने उसका शिलान्यास भी किया था । ऐसे योजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है ?

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दिखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : एक काम करते हैं, हम चाह रहे हैं कि बहुत से विषयों का उत्तर नहीं हो पाया है । इसके लिए अलग से एक बैठक बुला लेते हैं और बैठक बुला कर, जिसमें माननीय सदस्य भी रहेंगे और माननीय मंत्री भी रहेंगे, विभाग के अधिकारी रहेंगे और इसकी समीक्षा करने के बाद आगे हमलोग काम करेंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य छूट गए हैं उन्हें उस दिन बैठक में विषय रखने का अवसर दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जरूर आप रहेंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठक की तिथि तय की जायेगी, उस बैठक में आपलोग रहेंगे। अब शेष शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शेष शून्यकाल

श्री अभिषेक रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण के चनपटिया व मझौलिया प्रखंड में आदर्श विद्यालय भवन करोड़ों रुपये के खर्च के बाद भी वर्षों से अनुपयोगी है । सुविधाएं होते हुए संचालन नहीं हो रहा, जिससे सरकारी धन की बर्बादी और विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित है । मैं सरकार से संचालन की मांग करता हूँ ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलांतर्गत रफीगंज एवं मदनपुर प्रखंड में क्रमशः रफीगंज के आर॰बी॰आर॰ खेल मैदान एवं मदनपुर पड़ाव खेल मैदान में आधुनिक सुविधायुक्त स्टेडियम निर्माण कराने से युवाओं के खेल प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा । उक्त दोनों प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण कराने हेतु कार्रवाई की जाए ।

श्री अरूण मांझी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत तरेगना स्टेशन के पास बाजार में रेलवे फाटक के ऊपर बन रहे ओवर ब्रिज का निर्माण हो

रहा है जिसका कार्य बहुत धीमी रहने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न रहती है ।

अतः कार्य में तेजी लाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री गुलाम सरवर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत बायसी प्रखण्ड के अर्राबारी से खुटिया, चहट गांव एवं भीखमपुर गांव वाली सड़क नदी कटान की भेंट चढ़ रही है । उक्त सड़कें गांव से निकलने का एक मात्र रास्ता है । मैं उक्त तीनों सड़कों को बचाने हेतु कटावरोधक कार्य करवाने की मांग करता हूँ।

श्रीमती छोटी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, छपरा विधानसभा क्षेत्र के हनुमान जी का ननिहाल, गौतम ऋषि आश्रम पौराणिक महत्व के स्थल हैं । इनका संबंध रामायण काल से है ।

अतः इन्हें राम सर्किट योजना में शामिल कर पर्यटन विकास आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण तथा स्थानीय रोजगार सृजन सुनिश्चित करने की मांग करती हूँ ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, डेहरी क्षेत्र पर्याप्त जनसंख्या, उच्च राजस्व योगदान, सुदृढ़ रेल–सड़क आधारभूत संरचना, अनुमंडल एवं न्यायालय एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयों तथा औद्योगिक उपस्थिति उस जैसे जिला बनाने के सभी मानकों को पूर्ण करता है ।

अतः सरकार से डेहरी को शीघ्र जिला बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री राज कुमार राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिलांतर्गत हसनपुर प्रखंड मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर रोसड़ा में निबंधन कार्यालय अवस्थित है । हसनपुर–बिथान–सिंधिया के लोगों को जमीन रजिस्ट्री में काफी परेशानी होती है ।

अतः जनहित में सरकार से शीघ्र हसनपुर प्रखंड में निबंधन कार्यालय खोलने हेतु मांग करता हूँ ।

श्री मो॰ सरवर आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा आगजनी से मवेशियों की मौत होने पर बीमा नहीं होने के कारण गरीब पशुपालकों को कोई मदद नहीं मिलती । राज्य के बहुत से परिवारों की रोजी–रोटी इसी पर टिकी है । सरकार से मांग करता हूँ कि बीमा की शर्त हटाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाए ।

श्री आनन्द मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर फोरलेन पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए घायलों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराना आवश्यक है । मैं सरकार से फोरलेन के समीप एक आधुनिक ट्रॉमा सेंटर के निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री मो॰ मुर्शीद आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के अनुदानित मदरसों में भवन की जरूरत है जबकि मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के चयन सूची में 150 मदरसे शामिल हैं । जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की शिथिलता के

कारण कार्य बाधित है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी कार्य में तेजी लाकर उक्त मदरसों का भवन निर्माण करावें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व के सबसे बड़े निर्माणाधीन राम–जानकी मंदिर के समीप केसरिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कल्याणपुर प्रखण्ड के बहुआरा, जहां विवाहोपरांत जनकपुर से लौटते समय भगवान श्रीराम और माता जानकी के विश्राम करने का आध्यात्मिक उल्लेख है, में पर्यटन अतिथि गृह निर्माण करने की मांग सरकार से करती हूँ ।

श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत नोखा विधानसभा प्रखंड नासरीगंज के ग्राम परसिया मोना लाईन कैनाल पर बने पुल चार दिन पहले ध्वस्त हो गया है जिससे ग्राम परसिया सहित कई गांवों का आवागमन बाधित है ।

अतः अविलम्ब पुल बनाने का सरकार से मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुरारी पासवान ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री राधाचरण साह : माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत शाहबाद पथ प्रमण्डल, आरा के अधीन पवना–कोरी–संदेश पथ में संदेश बाजार के दोनों तरफ नाला नहीं रहने के चलते हमेशा जल–जमाव की समस्या बनी रहती है ।

अतः मैं आपके माध्यम से जनहित में उक्त स्थल पर शीघ्र नाला निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री बशिष्ठ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में वित्तरहित महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अनुदान देने के बदले वेतनमान नहीं दिए जाने के कारण इन लोगों का आजीविका प्रभावित है तथा वर्तमान में स्नातक शिक्षा भी प्रभावित है । सरकार से मांग करता हूँ कि वित्तरहित शिक्षाकर्मियों को वेतनमान दिया जाए ।

टर्न–12 / पुलकित / 24.02.2026

श्री बाबुलाल शौर्य : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला के परबत्ता विधानसभा में मवेशी पालन एक बड़ा रोजगार है किंतु वेटनेयरी कॉलेज नहीं होने से लोगों को असुविधा होती है।

अतः सरकार से परबत्ता में एक वेटीनेयरी कॉलेज खोलने की सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री अविनाश मंगलम : अध्यक्ष महोदय, रानीगंज प्रखंड अंतर्गत नगर पंचायत रानीगंज में प्रतिमाह 18 लाख रुपये से अधिक व्यय किए जा रहे हैं, किंतु सफाई व्यवस्था में भारी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है । सरकार से उच्चस्तरीय जांच कर

दोषियों पर कार्रवाई तथा रानीगंज, गिदवास और बसैठी बाजार में शीघ्र नाला निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, राज्य में तेली जाति की आबादी लगभग 3 प्रतिशत है। इसकी सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक एवं राजनैतिक स्थिति दयनीय है। अन्य राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड एवं राजस्थान में तेली जाति के उत्थान हेतु तेलघनी बोर्ड का गठन किया गया है । बिहार में भी इस बोर्ड के गठन की मांग करता हूं ।

श्रीमती देवंती यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, नरपतगंज में कोसी नदी के मेन कैनाल में आरडी 105.6 के समीप पोसदाहा और भंगही पंचायत के मध्य पुल होने से 10 किलोमीटर की दूरी घटकर महज आधा किलोमीटर हो जाएगी । इससे 9 पंचायत लाभाविन्वत होंगे । उपरोक्त स्थल पर पुल निर्माण कराने की मैं सरकार से माँग करती हूँ ।

श्री राकेश रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत बिहिया प्रखंड के रानी सागर पंचायत के कुंडेशर गांव में क्षेर नदी पर फुट ब्रिज नहीं होने के कारण ग्रामीणों एवं किसानों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः मैं सरकार से उक्त नदी पर फुट ब्रिज निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंडान्र्तगत मनरेगा का कार्य पूरा होने के बावजूद वित्तीय वर्ष–2021–22 से 2025–26 तक का कार्य पूर्ण राशि का भुगतान लम्बित है, जिससे मजदूरों की मजूदरी एवं विकास कार्य बाधित हो रहा है ।

मैं सरकार से अविलम्ब उक्त राशि का भुगतान करने की मांग करता हूँ ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुकंपा पर नवनियुक्त लिपिक एवं परिचारी का प्राण (पी0आर0ए0एन0) जेनरेट करने के बाद उनका नियत वेतन क्रमशः 16,500 और 15,200 रुपये निर्धारित करना दिवंगत शिक्षकों के परिवारों के साथ क्रूर मजाक है ।

इन कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा और नियमित वेतनमान की मांग करता हूँ ।

श्री आसिफ अहमद : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में नल–जल योजना की स्थिति अत्यंत दयनीय है, कई स्थानों पर पाइपलाइन व मोटर खराब है तथा जलापूर्ति ठप है, पिछले वर्ष भी जल संकट हुआ था जिससे ग्रामीण बहुत परेशान है और टैंकरो से उन्हें पेय जल मुहैया कराया जाता है ।

(व्यवधान)

अतः जलापूर्ति चालू कराने की मांग करता हूँ ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में 8,463 ग्राम कचहरीयों में न्याय व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये 7,623 स्वीकृत पदों में लगभग 5319 न्याय मित्रों एवं उस के सचिवों का बकाया मानदेय भुगतान हेतु सरकार से माँग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सरकार ने ग्रहण कर लिया है ।

(व्यवधान)

अब बैठ जाइये ।

माननीय सदस्य श्री विशाल प्रशांत ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के प्रखंड दुर्गावती अन्तर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय–गया रेल खंड पर पोल नम्बर 636/8 अप, 636/7, थर्ड 636/5ए0 खड़सरा महमूदगंज के बीच एवं कर्मनाशा रेलवे स्टेशन के पूरब पोल नम्बर अप 640/15 डाउन, 640/16 पर रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण की सरकार से माँग करता हूँ ।

श्रीमती मनोरमा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में भू–जल स्तर काफी नीचे चले जाने से पेयजल की गंभीर समस्या है ।

अतः में सरकार से उक्त क्षेत्र की सभी बंद नल–जल को चालू करने, खराब टूटे हुए पाइप लाइन की मरम्मत करते हुए उच्च क्षमता की पम्प जलमीनार स्थापित कर जलापूर्ति करने की मांग करती हूं ।

श्री विनय बिहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, डिसप्ले बोर्ड पर गया लिखा आता है, उसे गयाजी करा दिया जाए ।

अध्यक्ष : हां, एकदम सही आपने कहा है । अब शून्यकाल पढ़िये ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, लौरिया विधान सभा अंतर्गत पंचायत बसंतपुर ग्राम बेलवा, पंचायत गोबरौरा के वृति मटियरिया, बघलोचना, मटियरिया, धांगड़ बस्ती एवं लौरिया नगर पंचायत स्थित रामघाट, नूनिया टोला कभी भी कटाव का शिकार हो सकता है । उक्त ग्राम की सुरक्षात्मक कार्य शीघ्र हो ।

मैं सरकार से इसकी मांग करता हूं ।

श्री रजनीश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय अंतर्गत बियाडा बरौनी में पेप्सी, कैम्पा कोला तथा kaipti के फैक्ट्री के द्वारा लगभग 15 लाख लीटर भूगर्भ जल का दोहन प्रतिदिन होने से भूगर्भ जल स्तर में काफी कमी होने का खतरा उत्पन्न हो गया है ।

अतः जनहित में सरकार से मांग करता हूं कि भूगर्भ जल स्तर के दोहन पर नियंत्रण हेतु उपाय करें ।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण जिला के बगहा विधान सभा अंतर्गत बांसगाँव मंझरिया पंचायत के ग्राम परसौनी से बजरंग टोला होते हुए

ग्राम–बुलहा डीह तक सड़क निर्माण के साथ हरहा नदी पर पुल निर्माण कराने हेतु सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री अरूण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिलांतर्गत बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के नरौली, बहादुरपुर, सैदपुर, मंझौली इत्यादि मौजा की जमीन सरकार उद्योग के लिए अधिग्रहण करने वाली है । उक्त सभी जमीन दो फसली एवं दाल का कटोरा है ।

अतः उक्त जमीन को छोड़कर बंजर जमीन अधिग्रहण कर उद्योग लगाने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री ललित नारायण मंडल ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : शेष शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है । सदन की सहमति से लिखित उत्तर के लिए इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाएगा ।

(सदन की सहमति हुई)

<u>पढ़ी हुई मानी गयी शेष शून्यकाल की सूचनाएं</u>

श्री अखतरूल ईमान : बिहार में 85 प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं। मांस–मछली की दुकानों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता से गरीब फुटपाथ विक्रेताओं पर एक भय का माहौल बन गया है। दशकों से लाइसेंस जारी करने का कार्य ठप पड़ा है ।

अतः फुटपाथी मांस–मछली के विक्रेताओं के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त की जाए ।

श्री राम चन्द्र सदा : खगड़िया जिला अन्तर्गत अलौली विधान सभा में अम्बा ईचरुआ पंचायत के अम्बा में मृत बागमती नदी पर आर0सी0सी0 पुल बनवाना बहुत जरूरी हैं । जो जनहित के लिए अति आवश्यक है । इसलिए इस पुल को जल्द बनवाने की माँग सरकार से करते हैं ।

श्री इन्द्रदेव सिंह : सिवान जिलान्तर्गत सिवान–मलमलिया मुख्यमार्ग पर स्थित तरवारा बाजार में अधूरे नाले के निर्माण से सड़क पर जल–जमाव एवं दुर्गन्ध की समस्या रहती है, जिससे व्यवसायियों एवं आमजन ग्रसित हैं ।

अतः मैं सरकार से इस समस्या के समाधान की माँग करता हूँ ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : रीगा विधान सभा क्षेत्र के विद्यालय प्रांगणों में खेल मैदान नहीं रहने से छात्र–छात्राओं एवं युवा वर्ग को कठिनाई हो रही है तथा खेल गतिविधियों का संचालन नहीं हो पा रहा है, जिससे प्रतिभा विकास नहीं हो रहा है।

अतः रीगा, सुप्पी एवं बैरगनिया में खेल परिसर/स्टेडियम निर्माण कराया जाए ।

श्री अनिल कुमार : बिहार स्टेट पावर होल्डिगं कंपनी में जूनियर एकाउन्टस कलर्क और तकनीशियन ग्रेड–3 के सैकड़ों पद पर नियुक्तियों के उपरांत भी रिक्त हैं । योग्य अभ्यार्थी प्रतीक्षा में है । मैं जनहित में सरकार से इन रिक्तियों को भरने हेतु अविलंब दूसरी मेधा सूची जारी करने कि मांग करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : रक्सौल विधानसभा अंतर्गत रक्सौल एवं आदापुर प्रखंडों की कई पंचायतो में स्वास्थ्य उप–केंद्रों का आभाव है । संचालित केंन्द्र संसाधन एवं कर्मियों कि कमी से निष्क्रिय है । मैं जनहित में बंद केन्द्रों को सुचारू करने एवं शेष पंचायतों में स्वास्थ्य उप केंन्द्रों की स्थापना हेतु मांग करता हूं ।

श्री साम्रीद वर्मा : राज्य के विद्यालयों में BOO से BOOT मॉडल परिवर्तन से हजारों आई0सी0टी0 इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर संकट है ।

अतः मैं मांग करता हूँ कि नए मॉडल में अनुभवी पुराने इंस्ट्रक्टर्स को प्राथमिकता देकर उनकी सेवा सुरक्षा एवं विस्तार सुनिश्चित किया जाए ताकि इन युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके ।

श्री मुरारी मोहन झा : दरभंगा जिलान्तर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के टेक्टार एवं केवटी प्रखंड के बाजितपुर गाँव सहित अनेकों गाँव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के बीच से अधवारा समूह नदी गुजरती है नदी पर पुल का निर्माण अति आवश्यक हैं, जनहित में उक्त नदी पर पुल निर्माण करावे ।

श्री रोमित कुमार : अतरी थाना से दरियापुर पंचायत की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुलिस को पहुँचने में अधिक समय लगता है, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। सरकार से माँग है कि सेवतर बाजार या जेठियन में थाना स्थापित कर सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ।

श्री ललन राम : औरंगाबाद जिलान्तपर्गत प्रखंड कुटुम्बा में माता सतबहिनी के सामने बतरे नदी में पुल नहीं है, जिसके कारण आवागमन बाधित है।

अतः सरकार से माता सतबहिनी और चिलकी के बीच बतरे नदी पर पुल का मांग करता हूं ।

श्री मनोज विश्वास : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वक्फ संपत्तियों से जुड़ी अनियमितताओं अवैध लीज, अवैध निर्माण एवं राजस्व क्षति संबंधी शिकायतों की अब तक जांच कराई गई है जांच की वर्तमान स्थिति क्या है, तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई कब सुनिश्चित की जाएगी ।

श्री आलोक कुमार सिंह : रोहतास जिला अंतर्गत दिनारा विधानसभा क्षेत्र के राज राजेश्वरी हाई स्कूल सूर्यपुरा में फील्ड, ब्लॉक एवं सूर्यपुरा गाँव में जल जमाव हमेशा रहता है, गाँव का करीब 20 हजार जनसंख्या है अति शीघ्र जनहित में दोनों तरफ आरसीसी नाला निर्माण करा कर पानी निकासी का मांग करता हूँ ।

श्री मांजरीक मृणाल : ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएँ गंभीर चिंता का विषय हैं। ऐसे हादसे से परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुँचती है । एक्सीडेंट प्रोन एरिया चिन्हित कर स्पीड ब्रेकर, स्पीड डिस्प्ले एवं मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित की जाए तथा दोपहिया चालक के सुरक्षा उपकरण और स्पीड लिमिट सख्ती से लागू किए जाए ।

श्री नंद किशोर राम : पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत रामनगर नगर परिषद में रतनपुरवा से बिजली ऑफिस तक रामरेखा नदी शहर के बीचो बीच बहती है तथा विलुप्त होती जा रही है ।

अतः रामरेखा नदी के सफाई संरक्षण एवं मरीन ड्राइव के तर्ज पर विकसित करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री रोहित पाण्डेय : भागलपुर के गंगा तट स्थित बाबा बूढ़ानाथ मंदिर आस्था की अमूल्य धरोहर है, जहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन हेतु पहुँचते हैं यहाँ मंदिर कॉरिडोर निर्माण की आवश्यकता है । साथ ही नाथनगर, भागलपुर स्थित मनसकामना नाथ मंदिर के समुचित सौंदर्यीकरण हेतु सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री बबलू कुमार : खगड़िया के कसरैया धार को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के साथ–साथ चित्रगुप्त नगर स्थित चिल्ड्रन पार्क को विस्तारित करने और दाननगर स्थित सरदार पटेल पार्क में सरदार बल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा लगाते हुए जीर्णोद्धार की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अजय कुमार : बिहार में कृषि योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु पृथक कृषि अभियंत्रण निदेशालय का गठन अत्यंत आवश्यक है जिला एवं प्रखंड स्तर पर तकनीकी निगरानी के लिए कृषि अभियंत्रण अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंताओं के नियमित पद सृजन की आवश्यकता के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती ज्योति देवी : राजधानी पटना जे0पी0 गंगा पथ 20 कि0मी0 लम्बी है । 3 कि0मी0 पर्यटकों के लिए स्थान निर्धारित है । जहाँ पर्यटक मैरिन ड्राइव का लुफ्त उठाते हैं, इस बीच एक भी प्रसाधन गृह की व्यवस्था नहीं है। प्रसाधन गृह निर्माण हेतु सरकार को शून्य काल की सूचना देती हूँ ।

श्री विनय कुमार सिंह : सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखंड के बस्तिजलाल पंचायत के श्री राम जानकी मठ परिसर में अवस्थित जलमीनार खराब होने से करीब 6 हजार से अधिक लोगो को शुद्ध पेयजल की समस्या हैं । जनहित में इसे यथाशीघ्र बनवाने का काम किया जाए ।

श्री अमित कुमार : 67 वर्ष पुराने जगन्नाथ सिंह कॉलेज की जर्जर स्थिति की ओर सरकार ध्यान दें । यहाँ कला और विज्ञान की पढ़ाई हो रही है ।

अतः छात्रों के भविष्य हेतु वाणिज्य (कॉमर्स) की पढ़ाई शुरू करने और रिक्त प्रोफेसरों के पदों पर तत्काल नियुक्ति की माँग करता हूँ ।

श्रीमती कविता देवी : कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोढ़ा प्रखण्ड में स्थापित कोलासी पुलिस शिविर, कोढ़ा थाना से लगभग 15 कि0मी0 दूर है । थाना क्षेत्र बड़ा होने से लोगों को सुरक्षा एवं अन्य कार्यों में कठिनाइयाँ होती हैं ।

अतः जनसुविधा हेतु कोलासी पुलिस शिविर को थाना का दर्जा देने की माँग करती हूँ ।

श्री अश्वमेध देवी : समस्तीपुर जिलाअंतर्गत एफ0सी0आई0 ढाला से अंगार घाट तथा सिलौत से बिरौली तक बांध पर बनी सड़क कम चौड़ी है । इससे आने–जाने में कठिनाई होती है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है । आमजन की सुविधा व सुरक्षा को देखते हुए इस सड़क के शीघ्र चौड़ीकरण की मांग करती हूँ ।

श्री शुभानंद मुकेश : अंग्रेजों के विरुद्ध 1784 में विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले आदिवासी समाज के गौरव, बलिदान और वीरता के प्रतीक स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की जयंती 11 फरवरी को राजकीय अवकाश घोषित करने की माँग करता हूँ।

श्री गौतम कृष्ण : बिहार के कोसी क्षेत्र, विशेषकर महिषी विधानसभा, में प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ से जन–धन की क्षति होती है । स्थायी समाधान हेतु कोसी प्राधिकार का गठन कर उसे लागू किया जाए तथा तटबंध सुदृढ़ीकरण, पुनर्वास और जल–प्रबंधन की ठोस कार्य योजना बनाई जाए । मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री राजेश कुमार मंडल : दरभंगा जिलान्तगर्त प्लस–टू उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय राघोपुरडीह के प्रधानाध्यापक अभिषेक कुमार द्वारा अपने विद्यालय के मैट्रीक अंतर स्नातक के परीक्षार्थी का परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने के कारण वर्ष 2026 में 385 परीक्षार्थीयों परीक्षा से वंचित हो गए हैं ।

अतः प्रधानाध्यापक को हटाने के संबंध में मांग करता हूं ।

श्री देवेश कांत सिंह : जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा की अंगीभूत इकाई नारायण महाविद्यालय, गोरेयाकोठी में वनस्पतिविज्ञान, जन्तुविज्ञान तथा अर्थशास्त्र में स्वीकृत पदों पर एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं है ।

अतः सरकार से उक्त सभी विषयों में यथाशीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति की मांग करता हूँ ।

श्रीमती दीपा कुमारी : गयाजी जिला अंतर्गत इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में क्रिकेट स्टेडियम नहीं होने के कारण बच्चों की प्रतिभा पर प्रभाव पड़ता है । जबकि हमारे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी जगह चिन्हित है जहां क्रिकेट स्टेडियम निर्माण किया जा सकता है । सदन के माध्यम से सरकार से स्टेडियम निर्माण की मांग करती हूँ ।

श्रीमती गायत्री देवी : सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड के कचहरीपुर दक्षिण टोला जाने वाली पथ में झीम नदी बहती है, जिसपर पुल नहीं होने से आवागमन में कठिनाई होती है ।

अतः कचहरीपुर दक्षिण टोला जाने वाले पथ में झीम नदी पर पुल बनाने की मांग मै सरकार से करती हूं ।

श्री संजय कुमार पाण्डेय : पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड हरदी टेढ़ा स्थित स्व० सिंधेश्वर प्रसाद वर्मा स्टेडियम जर्जर अवस्था में है । जबकि यहाँ के खिलाड़ी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं । मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि उक्त स्टेडियम का समग्र विकास हेतु सरकार कदम उठावें ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : बिहार में कानू हलवाई जाति की आबादी सरकारी गणनानुसार 2,82.6 प्रतिशत है । जो आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अनुसूचित जाति से भी पीछे है । मैं सरकार से आपके माध्यम से कानू हलवाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग करता हूं ताकि समाज के मुख्यधारा में जी सके ।

मो0 कमरुल होदा : किशनगंज जिला सहित पूरे राज्य में युवा पीढ़ी में स्मैक, गांजा जैसे सूखा नशा का प्रचलन काफी बढ़ा हुआ है, फलस्वरुप उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा बच्चों के अभिभावक चिंतित हैं।

अतः मैं सूखा नशा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग सरकार से करता हूं।

श्री महेन्द्र राम : वैशाली जिला अन्तर्गत राजापाकर प्रखंड के पोखरैरा से मोहना पुल होकर राजापाकर बाजार जाने के लिए संपर्क रोड की निर्माण करने की मांग करता हूँ।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : पूर्णिया जिला के प्रखंड भवानीपुर एवं टीकापट्टी में शिक्षा संस्थान की भूमि उपलब्ध है । सात निश्चय–3 उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य योजना के तहत, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु पॉलिटेक्निक कॉलेज की आवश्यकता है ।

अतः सत्र के माध्यम से छात्र–छात्राओं के हित में पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : गयाजी के दो प्रखंड गुरारू परैया को जोड़ने वाली सड़क वायरलेस से 82 रोड मथुरापुर के बीच मोरहर नदी में पुल के निर्माण से दर्जनों गांव का आवागमन सुलभ हो जाएगा । पुल के निर्माण से दूरी भी कम हो जाएगी । सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब पुल का निर्माण करें ।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : कटिहार–पूर्णियाँ जिला को जोड़ने वाली आर0सी0डी0 सड़क, जो एन0एच0–131 ए0, फोरलेन बेलौरी–पूर्णियाँ से सोनैली होते हुए एन0एच0–81 बस्तौल तक जाती है । संकीर्ण एवं सीमित चौड़ाई में भारी वाहनों के आवागमन से यातायात बाधित, दुर्घटना का खतरा एवं आमजनों को आवागमन में असुविधा हो रही है । उक्त सड़क का चौड़ीकरण किया जाए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–13 / हेमन्त / 24.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब विधायी कार्य लिये जायेंगे।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा।

क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 मई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

महोदय, यह अति महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक लाया गया है जिसमें जनमत संग्रह के लिए इसको भेजना है। इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय ताकि इसमें विस्तृत रूप से पारदर्शिता, टाइमलाईन फैक्टर इन सब चीजों को भी लाया जाय ताकि बिहार के जो नवयुवक छात्र हैं, उनके भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण विधेयक बन सके।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 मई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं खंडशः लेता हूं। खंड–2 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष : कुछ बोलना चाहते हैं, तो बोल दीजिए।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : केवल बता देते हैं, चूंकि राहुल जी ने कुछ शंका व्यक्त की है, पता नहीं क्यों, वह इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करा रहे थे, क्योंकि यह तो सीधी बात है कि राज्य सरकार में और जो क्षेत्राधीन राज्य सरकार के कार्यालय हैं, उसमें समूह 'ख' और 'ग' मतलब क्लास–2 और 3 की नियुक्ति के लिए तकनीकी सेवा आयोग अधिकृत है, तो इसकी परिधि से, जो बोर्ड, निगम, आयोग हैं, वह इसकी परिधि में नहीं आते थे, तो वही इस संशोधन से लाया गया है। जहां बोर्ड निगम है, सरकार के लिए लागू था, बोर्ड के लिए नहीं लागू था, तो उसके लिए भी लागू किया जा रहा है। महोदय, अभी तक तकनीकी सेवा आयोग की कार्यशैली पारदर्शी रही है और संतोषजनक रही है। इसीलिए सर्वसम्मति से इसको पारित किया जाय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ।

<u>''बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026''</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा।

क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 मई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 मई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं खंडशः लेता हूं। खंड–2 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

महोदय, इसीलिए कह रहा हूं कि जैसा कि हमने तकनीकी सेवा आयोग के संबंध में कहा था कि जो नियुक्तियां राज्य सरकार या क्षेत्रीय कार्यालय में होती थीं, समूह 'घ' और जो कर्मचारी चयन आयोग का मेंडेट है, उससे तो कवर्ड था, आच्छादित था, लेकिन जितने बोर्ड, निगम या कॉरपोरेशंस थे, वह इसकी परिधि से बाहर थे। इसलिए उनको भी पारदर्शी तरीके से और सब जगह एक ही तरह का नियुक्ति का नियम रहे, इसलिए उनको इस परिधि में लाया जा रहा है। इसी से संबंधित संशोधन है। इसलिए हम सदन से अनुरोध करते हैं कि इसे पास कराया जाय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ।

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 मई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

महोदय, हम लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन के 73वें और 74वें संशोधन में हम लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की और उसमें नगर निकायों को भी हम लोगों ने एक स्वायत्त संस्था बनाने का प्रयास किया था। लेकिन आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जो नगर निकाय हैं, वह सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। महोदय, उनका जो वार्ड सदस्य है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। उनको सरकार अधिकार दे। उन अधिकारों के अनुरूप वह काम कर सकें, ताकि उन्हें भी कुछ फंड मिले जिस तरह मुखिया लोगों को मिलता है। महोदय, यह संस्था जो चल रही है, इनको अधिकारियों से अलग रखना चाहिए, क्योंकि जब बना था, तो उसमें यह हुआ था कि तंत्र के दबाव में न करके जनप्रतिनिधियों के साथ काम करने की व्यवस्था कायम हो, लेकिन आज यह पूर्णतः फेल हो गया है।

टर्न–14 / संगीता / 24.02.2026

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 मई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित प्रथम परन्तुक को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय–

''परन्तु लोक सभा/राज्य सभा/ विधान सभा/ विधान परिषद् के सत्रावधि में नगरपालिका की बैठक नहीं होगी।''

अध्यक्ष महोदय, चूंकि सशक्त समिति का मामला और बिहार असेम्बली के मेंबर, मिनिस्टर्स, एम0पी0 के नगरपालिका या नगर परिषद की मीटिंग में शामिल होने का मसला है । सशक्त कमिटी का मामला 6 महीना की जगह पर 3 महीना किया जाए और दूसरा मामला है कि साल भर में कितने दिन होते हैं असेम्बली, अबकी बार आप 19 बैठक कर रहे हैं, दो–चार बैठक ऐसे ही हो जायेंगे, 30 बैठक हो रही है, 364–65 दिनों के साल में, बाकी दिनों में वे मीटिंग करा सकते हैं तो एक तो विधायकों का आबरू ऐसे ही गिर गया है और नगरपालिका में, नगर निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पंचायतों में जब मीटिंग होती है, एक्स–ऑफिसियो मेंबर होते हैं माननीय सदस्य, यह सदन की गरिमा का भी मसला है । जब सदन चले तो ऐसे वक्त में वे मीटिंगें नहीं हों, यह कम से कम करा दीजिए सर, सदन की औकात में नहीं कराइए सर...

अध्यक्ष : अच्छी राय है, सरकार ने ग्रहण कर लिया ।

श्री अखतरूल ईमान : यह मैं समझता हूं कि सारे विधायक इस मामले में...

अध्यक्ष : सरकार ने ग्रहण कर लिया है ।

श्री अखतरूल ईमान : यह सदन की गरिमा का सवाल है कि सदन जब चले तो चलते सत्र में मीटिंग नहीं हो...

अध्यक्ष : सरकार ने ग्रहण कर लिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित प्रथम परन्तुक को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय–

''परन्तु लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद् के सत्रावधि में नगरपालिका की बैठक नहीं होगी ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–3 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य अखतरूल ईमान अपना प्रश्न मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : जी, बिल्कुल ।

अध्यक्ष : मूव करिए, मौका दे रहे हैं आपको । संक्षेप में कीजिएगा ।

श्री अखतरूल ईमान : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–3 में प्रस्तावित परन्तुक की पहली पंक्ति के शब्द ''छः'' को शब्द ''तीन'' से प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैं दोनों बातों के सिलसिले में जो मैंने अभी तकरार के साथ कही है, उन दोनों बातों को फिर तकरार से कहूंगा कि 6 महीने की जगह पर 3 महीना किया जाए सशक्त समिति का मामला और विधायकों को, मतलब चलते सत्र में ये मीटिंग नहीं करायी जाए, इसके लिए मैं कहूंगा, ये सदन की गरिमा का मसला है और आप हमारे कस्टोडियन हैं ।

अध्यक्ष : सरकार देखेगी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–3 में प्रस्तावित परन्तुक की पहली पंक्ति के शब्द ''छः'' को शब्द ''तीन'' से प्रतिस्थापित किया जाय ।''

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–4, 5 एवं 6 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड– 4, 5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड– 4, 5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

महोदय, मैं चाहता हूं कि सर्वसम्मति से स्वीकृत हो इसलिए कि राहुल जी ने जो बात कही है कि सदस्यों को कुछ अधिकार देने के लिए ही तो यह संशोधन आया है कि जो समिति सब बनायी जाती थी नगर निकायों में, उसमें चूंकि अध्यक्ष जो होते हैं, अब वे डायरेक्टर इलेक्शन से आते हैं, तो वे सारी शक्तियां उप–समितियों, समितियों को बनाने की उनको दे दी गई थी और जो वे अपने मन से ही बनाते थे, जो सदस्य, जो वार्ड सदस्य उनके पक्ष के नहीं होते थे, उनको कहीं नहीं रखते थे और अब जो हमलोग नियम बनाए हैं, आप ही जो चाह रहे हैं, उसी के मुताबिक कि अब सदस्य ही आपस में मिलकर जो विभिन्न समितियां होंगी, उसके सदस्यों का चयन करे । ये तो आप जो चाहते हैं, उसके अनुरूप है । दूसरी बात जो अखतरूल जी कह रहे हैं कि जब विधान सभा चले, तब इन निकायों की बैठक नहीं हो, यह बात सही है चूंकि इस सभा के सदस्य भी वहां एक्स–ऑफिसियो मेंबर होते हैं इसलिए सरकार इस बात का ख्याल भी रखेगी और निदेश भी देगी और ये संशोधन इसको और ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से फंक्शनिंग को सुनिश्चित करने के लिए की गई है इसलिए हम सदन से अनुरोध करते हैं कि इसको सर्वसम्मति से पारित कर दें।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026''

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जायगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव मूव करूंगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026 दिनांक–31 मई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, हमलोगों के पास विधेयक आ जाता है, समय आप देख ही रहे हैं तो इसपर थोड़ा सा अशोक चक्रजी का एक मैं कविता कहना चाहता हूं, व्यंग्य कवि थे ''सिलेबस समंदर जितना है मतलब विधेयक जो है समंदर इतना है, नदी इतना हम पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर हमें याद रहता है, गिलास भर हम लिख पाते हैं और चुल्लू भर नंबर आते हैं और जो समय मिलता है तो हमको लगता है कि सरकार को उस चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026 दिनांक–31 मई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 से 20 तक में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 से 20 तक इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 से 20 तक इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न–15 / यानपति / 24.02.2026

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

महोदय, मैं इसलिए कहता हूं कि स्वीकृत हो, कुछ बात कहने से पहले तो मैं अखतरूल जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपना संशोधन मूव नहीं किया, लेकिन राहुल जी को बताना चाहते हैं कि भाई, इसमें संशोधन करने की या इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने की क्या आवश्यकता है । इस विधेयक को अगर गहराई से देखिए तो अभी तो आज महोदय चार विधेयक आप ले रहे हैं, इसके पहले तीन विधेयक लिए हैं, उन तीनों विधेयकों को देख लीजिए । वो तीनों संशोधन विधेयक हैं । उन तीनों विधेयकों को देखिए । मतलब, उनसे संबंधित अधिनियम, कानून पहले से अस्तित्व में हैं और उनमें किसी खास कारण से हम तब्दीली कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं । लेकिन राहुल जी ने जो कहा, अब चुल्लू भर, क्या–क्या कहा, पूरी कविता तो हमको नहीं याद है, लेकिन अगर समय की कमी की बात उन्होंने कही है, महोदय, ये तो विधान सभा है, हमलोग विधान मंडल हैं और इसके जो संवैधानिक मूल काम हैं वो है विधान बनाना, कानून बनाना और अभीतक तो आपने कानून को संशोधित किया था और ये कानून

जो है, ये मूल कानून बन रहा है, ऑरिजनल ऐक्ट आज बन रहा है इसलिए महोदय, कि उसमें भी बनने का महोदय औचित्य है कि पहले जो सिविल न्यायालय देखते हैं कि वो 1887, मतलब अंग्रेजों के जमाने का कानून था और उसमें भी उसका नाम था बंगाल, आगरा, असम सिविल न्यायालय विधेयक, उसी से हमलोग, उसी के अधीन चल रहे थे । महोदय, अब तो बिहार अलग है और बिहारवासी भी वैधानिक रूप से और विधिक रूप से, दोनों तरीके से काफी जागरूक हो चुके हैं तो अब हमलोग अपने प्रदेश के लिए अलग तो कानून बनायेंगे ही । इसलिए हमलोगों ने पुराने कानून के मूल तत्व या आत्मा को अपने इस कानून में बरकरार रखते हुए इसको बिहार के लिए विशेष रूप से, बिहार की स्थिति, परिस्थिति को देखते हुए, यहां के न्यायालयों की व्यवस्था या यहां न्यायालय में जिस तरह के मामलों पर विचारण होता है, उनके मामले को देखते हुए इसमें हमलोगों ने नया, एकदम बिल्कुल ये नया विधेयक लाया है और ये समीचीन है और बिहार हित में है, इसलिए हम सदन से अनुरोध करेंगे कि इसको सर्वसम्मति से पारित करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–24 फरवरी, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–47 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक–25 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।